

नौवीं
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2020 - 2021



पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित)



पायस दूध उत्पादक कम्पनी

मूल्य (Values)

“हम सभी पायस कम्पनी के इन मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हैं।”

1. ईमानदारी एवं पारदर्शिता
2. टीम भावना
3. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता
हर स्तर पर
4. दीर्घकालीन दृष्टि
5. नवविचार (Innovation)
6. जूनून (Passion)

ध्येय (Mission)

- पायस दूध उत्पादक कम्पनी अपने सदस्यों के दूध उत्पादन की लागत को कम करते हुए, दूध उत्पादन एवं सदस्यों के दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है।

दीर्घ दृष्टि (Vision)

- अपने ध्येय-प्रतिबद्धता के साथ, पायस दूध संस्था विश्व की दूध व्यवसाय की अग्रणी संस्थाओं में जानी जायेगी एवं अपने समस्त सदस्यों, उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए पहली पंसद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित नौवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता / त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

निदेशक मंडल

(31 मार्च 2021 को स्थिति)

श्रीमती ममता चौधरी	(DIN - 07253296)	-	अध्यक्षा एवं निदेशक
श्रीमती गीता देवी गुर्जर	(DIN - 07573959)	-	निदेशक
श्रीमती ममता चौधरी	(DIN - 08842062)	-	निदेशक
श्री सेडमल शर्मा	(DIN - 07255050)	-	निदेशक
श्री जय सिंह राठौड़	(DIN - 07253278)	-	निदेशक
श्री सुखपाल जाट	(DIN - 06362918)	-	निदेशक
श्री नारायण लाल गुर्जर	(DIN - 08075740)	-	निदेशक
श्री रामचरण जाट	(DIN - 08193547)	-	निदेशक
श्री सुशील कुमार वैष्णव	(DIN - 08527267)	-	निदेशक
श्री लादू लाल	(DIN - 08856442)	-	निदेशक
डॉ. सी.एल. दाधीच	(DIN - 07014747)	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह	(DIN - 06895219)	-	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. सी.पी. देवानंद	(DIN - 07773929)	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री रतन कुमार सिंह	(DIN - 00142430)	-	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कम्पनी सचिव

श्री अनूप गुप्ता

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,
गुरुग्राम, हरियाणा

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर
एच.डी.एफ.सी बैंक, जयपुर
आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जयपुर
ऐक्सिस बैंक, जयपुर

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेन्ट

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.
प्लॉट एनएच-2, प्रथम मंजिल,
नोबल हाईट, सी-1 ब्लॉक, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110 058

रजिस्टर्ड कार्यालय

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर
वैशाली नगर, जयपुर-302 021 (राजस्थान)

दूरभाष नं. : +91-141-2352736

ईमेल : info@paayasmilk.com

www.paayasmilk.com

सहायक महाप्रबन्धक (विच)

श्री कपिल पचौरी

आतंरिक अंकेक्षक

मैसर्स अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,
गुरुग्राम, हरियाणा

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ सं.
1. निदेशकों की रिपोर्ट	1-15
2. स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	16-23
3. वार्षिक लेखा विवरण:	
(अ) 31 मार्च, 2021 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा	24
(ब) 31 मार्च, 2021 के लिये लाभ-हानि खाता	25
(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	26
4. लेखांकन टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	27-46
5. वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं अनुलग्नक	47-63
6. उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)	64
7. प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)	65-66



प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की दसवीं वार्षिक आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी ने कुल रु. 1189.25 करोड़ का कारोबार किया। कम्पनी ने कर भुगतान करने के पश्चात् रु. 8.59 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) भी देने की अनुशंसा की है।

कम्पनी ने वर्ष 2020-2021 में 6.93 लाख किलोग्राम प्रतिदिन औसतन दुग्ध का संकलन किया है। कम्पनी “पायस” ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध, घी, दही और छाछ इत्यादि उत्पादों का विक्रय किया है। कम्पनी मुट्रिका एवं मुट्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुट्रिका ब्रांड नाम से मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से उचित सेवायें भी दे रही है तथा दुग्ध उत्पादकों को उन्नत किस्म का चारा-बीज भी उपलब्ध करवा रही है।

कम्पनी ने एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज के सहयोग से आठ मॉडल डेयरी फार्म और अपने स्वयं के संसाधन से सात मॉडल डेयरी फार्म राजस्थान के पाँच जिलों (जयपुर, सीकर, टॉक, भीलवाड़ा और अजमेर) में विकसित किए हैं।

पारदर्शिता की दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ाते हुये, कम्पनी ने पायस सदस्य मित्र ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सदस्यों को उनके आपूर्तित दध के दिन, दूध की मात्रा, दूध में फैट और एस.एन.एफ. का प्रतिशत और कम्पनी द्वारा उनके बैंक खाते में भुगतान की गई राशि जैसे विवरण उनके मोबाइल पर एक क्लिक पर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

कम्पनी की उत्तरोत्तर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,

ह. / -

(रतन कुमार सिंह)

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते नौवीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम, 2013 का भाग XXIA) के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कुल आय	1189.25	1727.10
कुल लागत (व्यय सहित)	1177.69	1716.56
कर के पूर्व लाभ / (हानि)	11.56	10.54
कर हेतु प्रावधान	2.97	5.46
कर के पश्चात लाभ / (हानि)	8.59	5.08

वित्तीय वर्ष 2020-2021 महामारी कोविड-19 के साथ प्रारम्भ हुआ, जिसके कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा। व्यापार का कार्य संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप दूध की बिक्री में कमी रही और दूध संकलन भी प्रभावित हुआ। इससे कम्पनी की कुल आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी की व्यवसाय से कुल आय रु. 1189.25 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की कुल आय रु. 1727.10 करोड़ की तुलना में कमी दर्ज की गई। पिछले वर्ष के व्यय सहित कुल लागत रु. 1716.56 करोड़ की तुलना में कमी के साथ कुल व्यय रु. 1177.67 करोड़ रहे हैं।

कर के पश्चात लाभ रु. 8.59 करोड़ रहा है, जिसमें पिछले वर्ष के कर के पश्चात लाभ रु. 5.08 करोड़ की तुलना में 69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रु. 7/- प्रति समता अंश की दर से कुल रु. 2.81 करोड़ सीमित लाभांश (डिविडेंड) राशि देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान आगामी 10वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के प्रावधानों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने रु. 5.77 करोड़ की राशि को आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में हस्तांतरण करना प्रस्तावित है।

संचालन कार्य (Operations)

कम्पनी राजस्थान के 3240 गाँवों में स्थित 3532 दुध संकलन केन्द्रों से दुध संकलन कर रही है। कम्पनी ने पिछले वर्ष 31.25 करोड़ लीटर की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान 24.56 करोड़ लीटर दुध का संकलन किया। इसमें 3.94 करोड़ लीटर गाय का दूध अलग से थोक बिक्री के लिए संकलन किया गया। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी उत्पादक मूल्य प्रदान कर रही है। कम्पनी राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रकार में पॉली पैक दुध का विक्रय कर रही है। पिछले वर्ष पॉली पैक दुध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 350 लाख लीटर व 1076 मैट्रिक टन की तुलना में, समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी के पॉली पैक दुध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 158 लाख लीटर व 718 मैट्रिक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके दुध एवं दुध उत्पादों की बिक्री आगे बढ़ेगी इसलिए कम्पनी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

पुरस्कार और मान्यता (Award and Recognition)

एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा इंडियन डेयरी अवॉर्ड 2021 के अंतर्गत बेस्ट लार्ज साइज कम्पनी अवॉर्ड पायस कम्पनी को दिया गया। आगे, एनडीडीबी ने राज्य में सभी 3 श्रेणियों में पायस सदस्यों को प्रतिष्ठित डिजिटल दुध उत्पादक पुरस्कार प्रदान किया।

क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

समीक्षा वर्ष के दौरान, केयर रेटिंग्स लिमिटेड (CARE) ने कम्पनी को पुनः “AA-” (डबल ए माइनस) रेटिंग दी है। रेटिंग कम्पनी की ऋण प्राप्ति पर एक सामान्य राय देती है।

उत्पाद श्रेणी (Product Portfolio)

दुध एवं दुध उत्पाद (Milk and Milk Products)

कम्पनी उपभोक्ताओं को गुणवत्ता दुध एवं दुध उत्पाद प्रदान करने हेतु सेवारत है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुध का विभिन्न श्रेणियों में व्यापार कर रही हैं:

वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम)	विभिन्न श्रेणियां
डबल टोन्ड मिल्क	फैट: 1.5 एस.एन.एफ: 9.0	200ml, 500ml, 1L, 6L
टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0 एस.एन.एफ: 8.5	500ml, 1L, 6L
फुल क्रिम मिल्क	फैट: 6.0 एस.एन.एफ: 9.0	500ml, 1L, 6L
होमोजनाइज्ड टोन्ड मिल्क	फैट: 3.0 एस.एन.एफ: 8.5	200ml, 500ml, 6L

कम्पनी मदर डेयरी एवं अन्य इच्छुक खरीदारों को थोक में मिक्स मिल्क, गाय का दूध और स्किम मिल्क का विक्रय करती है।

दही

पायस “दही” का 85 ग्राम और 180 ग्राम कप में, 1 किलो और 5 किलो पॉलीपैक में और मटका आकार में 5 किलो प्लास्टिक के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

छाछ

पायस छाछ का 400 ml के पैक और मसाला छाछ का 200 ml के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

घी

पायस घी आधा लीटर (सिक्का पैक), 1 लीटर (सिक्का पैक), 2 लीटर टिन, 5 लीटर टिन एवं 15 किलोग्राम के टिन में ग्रामीण एवं शहरी विपणन प्रणाली के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

उत्पाद विकास (Product Development)

मार्केट की उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया से, कम्पनी अपने दुध उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

पशु आहार (Cattle Feed)

कम्पनी अपने स्वयं के “मुद्रिका” ब्राण्ड को दो प्रकार के पशु आहार BIS Type-II और गोल्ड हाई एनर्जी में पशु आहार वितरित करती है। कोविड-19 महामारी के कारण, पिछले वर्ष के 42590 मैट्रिक टन की तुलना में पशु आहार की बिक्री की मात्रा कम होकर 28671 मैट्रिक टन हो गई। हालांकि, महामारी के बीच दुध उत्पादक सदस्यों को सहायता देने के लिए, कम्पनी ने दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 की अवधि के दौरान पशु आहार पर रु 1 प्रति किलोग्राम की प्रोत्साहन राशि प्रदान की।

राजस्थान विशिष्ट मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर

(Rajasthan Specific Mineral Mixture and Ration Balancer)

राजस्थान की मिट्टी में खास खनिजों की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने राजस्थान के लिए विशिष्ट मिनरल मिक्सचर का विकास करने के लिए कम्पनी ने सुनियोजित किया है और इसे कम्पनी अपने ”मुद्रिका” ब्राण्ड के नाम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 84 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर और 28 मैट्रिक टन राशन बैलेंसर वितरित किया है।

चारा विकास (Fodder Development)

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोगिता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने हेतु चारा संरक्षण को प्रोत्साहन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। चारा विकास के अन्तर्गत, साईलेज प्रदर्शन, चारा फसलों (मछुबन घास) का प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति जैसी गतिविधियां की जा रही है।

कम्पनी लगातार दूध उत्पादकों को सस्ती दरों पर गुणवत्तायुक्त चारा बीज जिसमें रिजका, जई, ज्वार और बाजरा के बीजों आदि का वितरण कर रही है। समीक्षा वर्ष के दौरान कुल 633 क्विंटल चारा बीज का वितरण किया गया। भविष्य में, विभिन्न प्रकार के चारे की अन्य किस्में जैसे सहजन, चारा चुकंदर और चाइनीज केबिज आदि की योजना बनाई गई है।

मॉडल डेयरी फार्म (Model Dairy Farm)

मॉडल डेयरी फार्म विकसित करने के लिए कम्पनी अपने सदस्यों को सहयोग प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, पायस ने अपने स्वयं के सहयोग से एक (1) मॉडल डेयरी फार्म विकसित करवाया है। वर्तमान में, राजस्थान के पाँच जिलों (जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा) में कुल 15 मॉडल डेयरी फार्म में कार्यान्वित हैं।

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आर बी पी) (Ration Balancing Programme)

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुध उत्पादन की लागत कम कर दुध उत्पादक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपने स्वयं के संसाधनों से राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं प्रदान की है। आर.बी.पी. ने पारंपरिक खाद्य प्रथाओं को बदलने में सहायता की है। कम्पनी ने उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

कार्यक्षेत्र विवरण

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1	गाँवों की संख्या	68
2	किसानों की संख्या	332
3	जानवरों की संख्या	685

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (Artificial Insemination Program)

नेशनल डेयरी प्लान के अंतर्गत, कम्पनी ने प्रशिक्षित मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

कोविड-19 महामारी के बावजूद, पायस कम्पनी ने अपने स्वयं के संसाधनों से किसानों के घर तक कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने का कार्यक्रम निरन्तर जारी रखा है। प्रजनन सेवा की कुशल निगरानी एवं उक्त क्षेत्र में सहायता प्रदान करने की सुविधा हेतु मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) परिचालन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

कम्पनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान 350 MAIT के माध्यम से लगभग 2,11,822 कृत्रिम गर्भाधान किये हैं।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

पीआईबी विभाग का मुख्य कार्य सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति शिक्षित और संवेदनशील बनाना तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। इसको प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

पिछले वर्ष से चल रही महामारी के कारण, फ़िल्ड गतिविधि पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये, जो फ़िल्ड की गतिविधियों को सीमित करते थे। दुध उत्पादकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है।

एक विशाल कार्य क्षेत्र एवं सदस्यों के आधार वाली एकल स्तरीय कम्पनी होने के कारण, यह आवश्यक है कि दोतरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित करते हुये कम्पनी व इसके सदस्यों के बीच संबंध और जुड़ाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अनौपचारिक समूहों का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ग्राम स्तर पर 2891 अनौपचारिक विलोज कॉन्टेक्ट ग्रुप्स (वीसीजी) बनाए गए, जिसमें 10542 सदस्य थे और 227 मिल्क रूट पर अनौपचारिक मेम्बर रिलेशन ग्रुप्स (एमआरजी) बनाये गये, जिसमें 2891 सदस्य शामिल थे। जब भी संभव हुआ, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये, वीसीजी और एमआरजी बैठक आयोजित की गई।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

गुणवत्ता हमेशा से ही ध्यानाकर्षण का क्षेत्र रहा है। हमारे दुध अवशीतन केन्द्र आवश्यक दुध जांच उपकरणों से सुसज्जित है। दुध जांच उपकरण जैसे डिजीटल इलेक्ट्रोनिक बैलेंस, वाटर बाथ, वोरटेक्स शेकर्स, ऑवन, आर.एम. जांच उपकरण, बी. आर मीटर, रेमी सेन्टरफ्यूज मशीन, सोडियम विश्लेषक और रेफ्रिजरेटर आदि केन्द्रों पर कच्चे दुध की गुणवत्ता जांचने के लिए उपलब्ध है। गाय के दूध को प्राप्त करने, अवशीतन और भंडारण करने और प्रेषण करने के लिए अवशीतन केन्द्रों पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है जिससे इच्छुक खरीदारों को अच्छी गुणवत्ता के गाय के दुध की आपूर्ति की जा सके। पद्धति उन्नतीकरण जैसे अधिक दुध आने वाले शीतलन केंद्रों पर अतिरिक्त डॉक और संग्रह की सुविधा, प्रयोगशाला का विस्तार, दुध की ताजगी को सुरक्षित करने के लिए ऐफीजरेशन क्षमता में वृद्धि, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त आदर्श दुध शीतलन केंद्र की स्थापना जैसे - ऑटो सीआईपी, ऑटो कन्वेयर आदि को आरम्भ किया गया।

केमिस्ट तथा एमसीसी इन्वार्ज के कौशल सुधार हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)

ईमानदारी और पारदर्शिता सदैव से ही पायस के प्रमुख मूल्य रहे हैं। इस दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ाते हुये, कम्पनी ने पायस सदस्य मित्र ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सदस्यों को उनके आपूर्ति दूध के दिन, दूध की मात्रा, दूध में फैट और एस.एन.एफ. का प्रतिशत और कम्पनी द्वारा उनके बैंक खाते में भुगतान की गई राशि जैसे विवरण उनके मोबाइल पर एक क्लिक पर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन (Change in nature of Business)

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं (Material Changes and Commitments)

कम्पनी में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं है, जोकि वित्तीय वर्ष के समाप्ति, जिससे कम्पनी के वित्तीय विवरण से संबंधित है और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की उपयुक्तता (Applicability of Companies Act, 2013)

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था। केंद्र सरकार ने दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को कम्पनी संशोधन अधिनियम 2020 से कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXIA को समाविष्ट किया। यह नया अध्याय प्रोड्यूसर कम्पनियों के सभी प्रावधान जैसे कि कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA में दिए गए हैं, को सम्मिलित करता है। कम्पनी अधिनियम 2013 के नए अध्याय XXIA के प्रावधानों को दिनांक 11 फरवरी, 2021 से अधिसूचित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लागू होने वाले नए प्रावधानों की अनुपालन करना प्रारम्भ कर दिया है।

अंश पूंजी संरचना / सदस्यता

कम्पनी ने वर्ष के दौरान अधिकृत अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, दिनांक 31 मार्च, 2021 को कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रु. 50 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कम्पनी की अभिदृत और प्रदत्त अंश पूंजी रु 41.77 करोड़ और दिनांक 31 मार्च, 2021 को रु. 40.19 करोड़ रूपये थी। समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने सदस्यों के 573269 समता अंशों को समर्पण/सदस्यता निरस्त करने/धारित अंश पूंजी को लौटाने के कारण निरस्त किया और कम्पनी ने 414991 समता अंश सदस्यों को जारी किये।

उपरोक्त के अलावा, कम्पनी ने कोई समता अंश या वरीयता अंश या ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की है जिनके पास ऐसी प्रतिभूतियां को अंशों में बदलने का अधिकार या विकल्प है।

31 मार्च, 2021 को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 110781 सदस्य दर्शाये गये हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान 8023 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नहीं करने के कारण निरस्त/समर्पण कर दी गई हैं।

31 मार्च, 2021 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 2010 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है तथा 2008 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नहीं करने के कारण निरस्त/समर्पण कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 110783 है।

सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी से सम्बन्धित संरक्षता मापदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें, जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रूप से बनी रहें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में दर्शये गये 110781 सदस्यों में से 34657 सदस्यों को आम सभा के सूचना पत्र में वर्णित सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार है और 8830 सदस्य, जिन्होंने वोट करने का अधिकार के लिए आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 में कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की है) लेकिन उन्होंने अपने श्रेणी की एक या अधिक संरक्षिता की अन्य शर्तों को पूरा नहीं किया है। जिसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन पर वोट नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 65286 सदस्य, जिन्होंने वोट करने के लिए उपरोक्त आधारभूत शर्तों को पूरा नहीं किया है, इसलिए उन्हें आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नहीं है। शेष, 2008 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2021 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

2010 नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2021 के बाद कम्पनी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं, वे वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लाभांश एवं दसवीं वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि हस्तांतरित (Transfer to Investor Education and Protection Fund)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 के प्रावधानों को IEPF प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षक, हस्तांतरित और धनवापसी) नियम, 2016 (“IEPF नियम”) के साथ पढ़ें जाने के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए रु. 5,57,991/- की राशि का सीमित लाभांश जो अनपेड डिविडेंड खाते में हस्तांतरण की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदेत (Unclaimed and Unpaid) रहा है, को कम्पनी ने केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में हस्तांतरित कर दिया है।

आगे, वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए अंश आवेदन राशि रु. 248228/- और निरस्त अंश राशि/अतिरिक्त अंश आवेदन राशि जो सदस्यता मापदंड को पूरा नहीं करती है, की राशि रु. 3913464/- जो रिफंड करने के लिए देय है लेकिन रिफंड के लिए देय राशि की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदेत (Unclaimed and Unpaid) रही है, को कम्पनी ने केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में राशि हस्तांतरित कर दिया है।

कम्पनी के पास कोई अंतर्निहित अंश (Underlying Shares) नहीं है जिसे उपरोक्त उल्लेखित के अनुसार (IEPF) में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

अदावाकृत और अनपेड डिविडेंड और अंश आवेदन राशि/निरस्त किए गए अंशों की बकाया राशि की सूची कम्पनी की वेबसाइट <https://www.paayasmilk.com/unclaimed-amount.php> पर उपलब्ध है। अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त सूचियों देख ले और यदि उक्त सूचियों में कोई भी उपरोक्त राशि शेष रही है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड की बैठक (Board Meetings)

समीक्षा वर्ष के दौरान, पांच बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक का विवरण नीचे प्रदर्शित है।

बोर्ड बैठक की क्र.सं.	बोर्ड बैठक की दिनांक	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थित निदेशकों की संख्या
45th	25.06.2020	14	14
46th	14.08.2020	14	13
47th	26.10.2020	14	14
48th	19.02.2021	14	14
49th	22.03.2021	14	14

हितधारकों से संबंधित समिति (Stakeholders' Relationship Committee)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) की आवश्यकता के अनुसार, कम्पनी के अंशधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंधित समिति का गठन किया गया था। समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- श्रीमती ममता चौधरी, अध्यक्षा
- श्री सुखपाल जाट, सदस्य
- श्री रतन कुमार सिंह, सदस्य

समिति का गठन दिनांक 22 मार्च, 2021 को किया गया था। इसलिए, वर्ष के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कम्पनी की नीति (Company's Policy Relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge their duties)

धारा 178 (1) के प्रावधान जोकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है, कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

निदेशक (Directors)

श्रीमती मंजू जाखड़ और श्री ढूंगर सिंह राठौड़, कम्पनी के निदेशक पद से 04 दिसम्बर, 2020 को सेवानिवृत्त हुये। बोर्ड उनको निदेशक के रूप में कम्पनी को दिये गये सहयोग हेतु धन्यवाद देता है।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कम्पनी अंतर्नियमों के संबंधित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZA और कम्पनी अधिनियम के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती ममता चौधरी और श्री लादू लाल को 04 दिसम्बर, 2020 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

डॉ. सी.एल. दाधीच को विशेषज्ञ निदेशक के रूप में 29 नवम्बर, 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया था।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुनः नियुक्ति

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षकों के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गों श्रेणी-ए, श्रेणी-बी तथा श्रेणी-सी में संरक्षकों के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम-सभा में अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में सदस्यों द्वारा संरक्षक के मानदण्ड पूरे करने के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी के सदस्य क्रमशः 8%, 20% और 72% थे। तदनुसार, बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षकों के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमशः श्रेणी-ए में 4 निदेशक, श्रेणी-बी में 4 निदेशक तथा श्रेणी-सी में 3 निदेशक होती हैं। कम्पनी, अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :-

श्रेणी-ए के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 निदेशक हैं। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री नारायण लाल गुर्जर, कम्पनी के निदेशक, “श्रेणी ए” के प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे और योग्यताएँ पूरी करते हुए अपने आप को पुनः नियुक्ति के लिये प्रस्तुत करते हैं। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने उनकी पुनः नियुक्ति की अनुशंसा की है।

संरक्षता मापदंड के आधार पर बोर्ड में श्रेणी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और श्रेणी ए में रिक्त पद को भरने के लिए, बोर्ड ने नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर श्रेणी ए के प्रतिनिधि श्रीमती सुनीता शर्मा और श्री विजय सिंह मीणा की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति/पुनःनियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की दसवीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्न हैं।

श्रेणी-बी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 निदेशक हैं। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री सुखपाल जाट, कम्पनी के निदेशक, कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्री सुखपाल जाट के स्थान पर श्री भागचन्द जो “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, की नियुक्ति की अनुशंसा की है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री रामचरण जाट, कम्पनी के निदेशक, कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे और उनके स्थान पर श्रेणी ए में निदेशक नियुक्त होंगे।

निदेशकों की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की दसवीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्न हैं।

श्रेणी-सी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक हैं इसलिये दसवीं वार्षिक आम सभा में निदेशकों की श्रेणी सी में कोई सेवानिवृति/चुनाव नहीं हैं।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अन्तर्गत, कम्पनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:-

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का सामग्री प्रारंभिक से संबंधित उचित व्याख्या अनुपालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।
- कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।
- निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह प्रणाली उचित और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और संरचना या संचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF की अनुपालना में मैसर्स अरनेस्ट एवं यंग एल.एल.पी. चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक पुनः नियुक्त किया है जोकि स्वांत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा एवं कम्पनी के खातों का अंकेक्षण करते हैं।

जमा (Deposits)

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की है।

ऋण, दी गई गारंटी और निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees given and Investments)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कम्पनी ने कोई ऋण की अनुमति या कोई गारंटी या प्रतिश्रूति नहीं दी है और ना ही कोई निवेश किया है।

संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध अथवा लेनदेन का विवरण (Particulars of Contracts, Arrangements with related parties)

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा संबंधित पक्ष के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में आर्म लेन्थ बेसिस (Arm's length basis) और व्यवसाय के सामान्य शृंखला में थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया था, जो बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कम्पनी ने संबंधित पार्टीयों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था, जिसे भौतिक माना जा सकता है या जिसे अधिनियम की धारा 188 और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) को धारा 134(3)(h) के साथ पढ़े जाने के संदर्भ में फॉर्म AOC-2 में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को कम्पनीज (CSR) संशोधन नियम, 2021 के साथ पढ़ें जाने के अनुसार, कम्पनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) लिया है और सीएसआर नीति को अपनाया है, जो कम्पनी की वेबसाइट <https://www.paayasmilk.com/csr-policy> पर उपलब्ध है। आगे, कम्पनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

समीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी की सीएसआर नीति में विनिर्दिष्ट के अनुसार कम्पनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister National Relief Fund) रु. 27.34 लाख का सीएसआर योगदान दिया है। कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक-1 में प्रदान की गई है।

जोखिम प्रबंधन (Risk Management)

कम्पनी के पास उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। कम्पनी ने प्रमुख व्यावसायिक जोखिमों की पहचान कर समीक्षा की और समय-समय पर ऐसे जोखिमों को कम करने में हुई प्रगति की कम्पनी निगरानी करती है। कम्पनी ने सभी मुख्य परिचालन के लिए मानक संचालन कार्यों की समीक्षा की और इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

कम्पनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन (Risk Management) नीति कार्यान्वित की है।

सचेतक तंत्र (Vigil Mechanism)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत कम्पनी ने सचेतक तंत्र के लिए नीति अपनाई है, जिसमें कोई भी मुद्दा जो कम्पनी की संहिता के उल्लंघन या उसके विरुद्ध हो, को प्रबंधन जी जानकारी में लाने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों को उचित अवसर प्रदान करता है। कर्मचारियों को Whistle Blowing के माध्यम से अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सचेतक तंत्र (Whistle Blower Policy) कम्पनी की वेबसाइट <https://www.paayasmilk.com/vigil-mech-policy> पर उपलब्ध है।

अंकेक्षक (Auditors)

मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स (आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 101496W) को दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को आयोजित कम्पनी की नौवीं वार्षिक आम सभा में, नौवीं वार्षिक आम सभा के समापन से लेकर वर्ष 2021 में होने वाले कम्पनी की दसवीं वार्षिक आम सभा के समापन तक एक वर्ष की अवधि के कार्यकाल के लिए कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार, मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स, कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक, कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में पुनःनियुक्ति पर वर्ष 2022 में होने वाली ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा के समापन तक कार्यरत रहेंगे। कम्पनी को अंकेक्षकों से इस पर पुष्टिकरण प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुनःनियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा में होगी और वे पुनःनियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, वैधानिक अंकेक्षकों ने धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

लागत अभिलेख (Cost Record)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कम्पनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नहीं होती है।

अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की समीक्षा (Boards' comment on the Auditors' Report)

अंकेक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित नोट्स और वित्तीय विवरण स्व-व्याख्यात्मक है और उन पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई अयोग्यता, शर्त, रोक या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

वार्षिक रिटर्न (Annual Return)

दिनांक 31 मार्च, 2021 को कम्पनी का वार्षिक रिटर्न कम्पनी की वेबसाइट <http://www.paayasmilk.com/annual-general-meeting.php> पर देखा जा सकता है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियमों की अनुपालना में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिंग उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष पर नीति बनाकर कार्यान्वित कर दी गई है। वर्ष के दौरान, कम्पनी को लैंगिंग उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

(Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाने के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में:

- (i) ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में भाग ए तथा बी के नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ii) विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

अन्य प्रकटीकरण

- कोई भी कम्पनी ना तो कम्पनी की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी बनी या समाप्त हुई है।
- विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं हुआ है जोकि कम्पनी के संचालन एवं भविष्य की परिचालन स्थिति को प्रभावित करता है।
- कम्पनी के विरुद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ/लंबित नहीं है जोकि कम्पनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
- एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किया गया मूल्यांकन, उसके कारणों सहित कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

आभार (Acknowledgement)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते हैं, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डिवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

वास्ते निदेशक मंडल

ह./-

ममता चौधरी

अध्यक्षा

डी.आई.एन.-07253296

स्थान : जयपुर

दिनांक : 21 सितम्बर, 2021

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप-रेखा:

कम्पनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ पढ़ें जाने के अनुसार विस्तृत गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है:

- a) स्वास्थ्य
- b) शिक्षा
- c) स्वच्छता सुविधाएं
- d) पर्यावरण स्थिरता
- e) जाति समानता को बढ़ावा देना
- f) व्यावसायिक कौशल में सुधार
- g) राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की सुरक्षा करना
- h) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय
- i) पीएम राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केर्यसंफ़ या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान
- j) इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान
- k) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को पूरा करना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में शामिल रखना
- 2. **सीएसआर समिति की संरचना:** लागू नहीं है (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार लागू नहीं है।				

- 3. वह वेब लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।
कम्पनी की सीएसआर नीति <https://www.paayasmilk.com/csr-policy> पर उपलब्ध है।
- 4. कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का व्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)- लागू नहीं है

5. कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में मुजरे के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से मुजरे के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा (रु. में)	वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रु. में)
Nil			

6. धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ: रु. 136,742,964/-

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: रु. 27,34,859/-

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों का सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष - Nil

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाले राशि, यदि कोई हो - Nil

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7क+7ख-7ग) : रु. 27,34,859/-

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि	खर्च न की गई (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुके अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
रु. 27,34,859/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन की रीति-सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से नाम सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
Nil										

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
क्र.सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन की रीति-सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	अनुसूची VII (Viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	पैन इंडिया	पैन इंडिया	पैन इंडिया	रु. 27,34,859/-	हाँ	लागू नहीं लागू नहीं
	योग					रु. 27,34,859/-		

- (घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि: Nil
 (ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं
 (च) वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ) के लिए खर्च की गई कुल राशि: रु. 27,34,859/-
 (छ) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशि

क्र. सं.	विशिष्टी	राशि (रु. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	रु. 27,34,859/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	रु. 27,34,859/-
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	Nil
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्भूत अधिशेष	Nil
(v)	सेट ऑफ [(iii)-(iv)] के लिए उपलब्ध राशि	Nil

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि	
				निधि का नाम	राशि (रु. में)	अंतरण की तारीख		
Nil								

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना पहचान	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ हुई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययित संचयी (रु. में)	परियोजना की स्थिति- पूर्ण की गई/चालू है
Nil								

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहित परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें। (परिसंपत्ति वार ब्यौरा): लागू नहीं
- (क) पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तारीख - Nil
- (ख) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि- Nil
- (ग) उस कम्पनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का ब्यौरा जिसके नाम से ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति रजिस्ट्रीकृत है, उनका पता इत्यादि- लागू नहीं
- (घ) सृजित अथवा अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का ब्यौरा प्रदान करें (ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और अवस्थिति सहित) - लागू नहीं
11. कारण (यों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो - लागू नहीं

स्थान: जयपुर
दिनांक: 21 सितम्बर, 2021

ह./-
रतन कुमार सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
डी.आई.एन.-00142430

ह./-
ममता चौधरी
अध्यक्षा एवं निदेशक
डी.आई.एन.-07253296

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिये वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट (Auditors' Report)

राय (Opinion)

हमने पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते हैं एवं अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों को कम्पनीज (लेखा मानकों) नियम, 2006 एवं संशोधित ("लेखा मानकों") के साथ पढ़े। जाने के संदर्भ में, 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाएं देते हैं।

राय (Opinion) के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट

- कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से अंसंगत हैं या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।
- यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो उस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी के निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है जोकि लेखांकन मानकों एवं आमतौर पर भारत में लागू अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमिताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसाकि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नहीं ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हों।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAS के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रुकावट उत्पन्न कर सकता है।
- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बयानों का परिणाम है जिससे यह संभावना होती है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की यथोचित जानकारी से आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, (i) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। (ii) एकल (standalone) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते हैं।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :-
 - (अ) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - (ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें हैं जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।
 - (स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिठ्ठा, लाभ-हानि खाता तथा गोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - (द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है।
 - (य) 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2021 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
 - (र) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट “अनुलग्नक अ” को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।
 - (ल) अधिनियम की धारा 197(16) जैसाकि संशोधित किया गया है, की आवश्यकताओं के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है इसलिए धारा 197 जोकि प्रबंधक पारिश्रमिक से संबंधित है, लागू नहीं होती है।
 - (ब) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, जैसाकि संशोधित किया गया है, के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:-
 - i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में ऐसे लम्बित मुकदमे प्रकट किये हैं जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हो - वित्तीय विवरणों के नोट 26 को देखें।
 - ii. कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियाँ हो।
 - iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण किए जाने वाली कोई भी राशि नहीं है।
2. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश/ CARO 2016) के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्राओं पर विवरण “अनुलग्नक ब” में दिया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378ZG की आवश्यकता के अनुसार, इस धारा में वर्णित मुद्राओं पर हमने विवरण “अनुलग्नक स” में दिया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या : 87104)

(UDIN: 21087104AAAFJ6816)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 अगस्त, 2021

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – “अ”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 1(f) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्डों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागू करना तथा उन्हे बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (“दिशानिर्देश लेख”) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दृष्टि कर सकती है।

राय (Opinion)

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2021 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउटेंट्स

(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या : 87104)

(UDIN: 21087104AAAAFJ6816)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 अगस्त, 2021

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक - “ब”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

(i) कम्पनी की संपत्ति, प्लांट और उपकरण के संबंध में :-

- अ. कम्पनी ने संपत्ति, प्लांट और उपकरण का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।
 - ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा संपत्ति, प्लांट और उपकरण का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्ति, प्लांट और उपकरण के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।
 - स. हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं दिये गये स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी ने लीज पर ली गई भूमि पर भवन का निर्माण किया है और लीज अनुबन्ध कम्पनी के नाम से है।
- (ii) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।
- (iii) कम्पनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के रजिस्टर में आवृत किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।
- (iv) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण, निवेश एवं गारंटी प्रदान नहीं की है इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vi) कम्पनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति को देखते हुए, CARO 2016 के अनुच्छेद (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vii) वैधानिक देय के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :-

- अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, सेस तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान किये गये कार्यों पर किसी भी प्रकार के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।
- ब. 31 मार्च, 2021 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवाकर, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से 6 माह हो गये हो।
- स. आय कर, वस्तु एवं सेवाकर की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2021 को देय नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो। कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान किये गये कार्यों पर किसी भी प्रकार के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

- (viii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंकों के ऋण या उधार की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है। कम्पनी ने सरकार या वित्तीय संस्थानों से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी किये हैं।
- (ix) कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) या अवधि ऋण से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नहीं की है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (ix) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (x) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा या कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस वर्ष के दौरान ना ही सामने आया है और ना ही रिपोर्ट किया गया है।
- (xi) कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है, इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xii) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xiii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 का अनुपालन किया है। जहां भी लागु हों, संबंधित पक्षकारों के सभी व्यवहारों तथा संबंधित पक्षकारों के संपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है जोकि लागू होने वाले लेखा मानकों के अनुसार आवश्यक है।
- (xiv) वर्ष के दौरान कम्पनी ने अंशों का व्यक्तिगत स्थापन और अधिमान्य आवंटन या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्रों का आवंटन नहीं किया है, इसलिए CARO 2016 के अनुच्छेद (xiv) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी के लिए लागू नहीं होती है।
- (xv) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर-नकटी व्यवहार नहीं किये हैं अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत् कम्पनी को पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)
(UDIN: 21087104AAAFJ6816)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 अगस्त, 2021

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक - “स”

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ‘अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं’ के अन्तर्गत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

- i. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 15 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।
- ii. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की हस्तगत रोकड़ और निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2021 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।
- iv. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया है जो की कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधान के विरुद्ध हो।
- v. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकांउटेंट्स

(पंजीयन संख्या : 101496W)

ह./-

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

(सदस्यता संख्या : 87104)

(UDIN: 21087104AAAFJ6816)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 अगस्त, 2021

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को आर्थिक चिट्ठा

(रुपये ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2021 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति
अ.	समता एवं दायित्व			
1.	अंशधारकों का कोष			
(अ)	अंश पूँजी	3	401,964,900	417,792,700
(ब)	संचित एवं अधिशेष	4	747,872,092	672,235,601
			1,149,836,992	1,090,028,301
2.	आंवटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि		8,877,000	16,948,800
3.	स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	5	59,647,298	73,380,250
4.	गैर-चालू दायित्व			
(अ)	अन्य दीर्घकालीन दायित्व	7	119,938,819	117,682,196
			119,938,819	117,682,196
5.	चालू दायित्व			
(अ)	अल्पकालीन ऋण	8	886,813,129	898,207,709
(ब)	व्यापारिक लेनदारियाँ	9	6,466,201	6,636,331
(i)	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		523,592,338	690,468,011
(ii)	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		38,479,927	45,371,082
(स)	अन्य चालू दायित्व	10	9,096,501	21,429,576
(द)	अल्पकालीन प्रावधान	11	1,464,448,096	1,662,112,710
			2,802,748,205	2,960,152,257
	योग			
ब.	संपत्तियाँ			
1.	गैर चालू संपत्तियाँ			
(अ)	संपत्ति, प्लांट और उपकरण			
(i)	मूर्ति संपत्तियाँ	12अ	158,822,946	196,249,769
(ii)	अमूर्ति संपत्तियाँ	12ब	229,482	942,188
(iii)	प्रगति अधीन पूँजीगत कार्य	12स	247,800	-
			159,300,228	197,191,957
(ब)	स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	6	2,075,941	957,447
(स)	दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	13	14,689,518	26,201,468
			176,065,687	224,350,872
2.	चालू संपत्तियाँ			
(अ)	स्टॉक	14	103,338,291	80,965,795
(ब)	व्यापारिक लेनदारियाँ	15	998,855,504	1,612,442,547
(स)	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	16	1,467,475,421	1,007,050,619
(द)	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	18,790,845	12,858,557
(य)	अन्य चालू संपत्तियाँ	18	38,222,457	22,483,866
			2,626,682,518	2,735,801,385
	योग			2,802,748,205
				2,960,152,257

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि विवीथ विवरण का हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह. / -

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

ह. / -
ममता चौधरी
निदेशक
डी.आई.एन.-07253296

ह. / -
अनुप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. F5302
स्थान : जयपुर
दिनांक : 18 अगस्त, 2021

ह. / -
सुखपाल जाट
निदेशक
डी.आई.एन.-06362918

ह. / -
कपिल पचौरी
सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

ह. / -
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.-00142430

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 अगस्त, 2021

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि का विवरण

क्र.स.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	(रुपये ₹ में) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	व्यवसाय से आय	19	11,816,279,511	17,208,916,896
2.	अन्य आय	20	76,098,403	62,130,430
3.	कुल आय (1+2)		11,892,377,914	17,271,047,326
4.	व्यय			
	(अ) व्यवसायिक माल का क्रय	21	10,741,877,471	15,891,685,607
	(ब) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन	22	(22,372,496)	47,835,064
	(स) कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	23	131,632,669	122,159,778
	(द) वित्त लागत	24	54,421,703	31,711,264
	(य) मूल्य हास एवं क्षति संबंधी व्यय	12	27,123,827	30,972,716
	(र) अन्य व्यय	25	844,137,876	1,041,235,575
	कुल व्यय		11,776,821,049	17,165,600,005
5.	कर पूर्व लाभ(3-4)		115,556,865	105,447,321
6.	कर व्यय			
	(अ) चालू कर		32,000,000	29,000,000
	(ब) स्थगित कर शुल्क/(जमा)(Deferred Tax Charge/(Credit))		(1,118,494)	(1,321,022)
	(स) पूर्व वर्षों से संबंधित प्रावधान (नोट 38 को देखें)		(1,164,922)	26,893,397
	शुद्ध कर व्यय		29,716,584	54,572,375
7.	वर्ष का लाभ (5-6)		85,840,281	50,874,946
8.	प्रति समता अंश आय	31		
	(न्यूनतम मूल्य ₹.100/- प्रति शेयर)			
	(अ) मूल		20.34	13.38
	(ब) डायल्यूटेड		20.34	13.38

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि विस्तृत विवरण का हिस्सा हैं।

हामारी संस्कृत प्रियट के संदर्भ में

वास्ते एस. बी. विल्हेमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह. / -

जितेन्द्र अग्रवाल

पाटनर

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह. / -
ममता चौधरी
निदेशक
डी.आई.एन.-07253296

ह. / -
सुखपाल जाट
निदेशक
डी.आई.एन.-06362918

ह. / -
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.-00142430

ह. / -
अनुषु गुप्ता
कम्पनी सचिव
एप.न. F5302
स्थान : जयपुर
दिनांक : 18 अगस्त, 2021

ह. / -
कपिल पचौरी
सहायक महाप्रबन्धक (वित)
दिनांक : 18 अगस्त, 2021

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 अगस्त, 2021

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अ.	व्यवसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		(राशि रु में)
	कर से पूर्व लाभ	115,556,865	105,447,321
	समायोजन के लिये :		
	वित्त लागत-ऋण पर व्याज व्यय	53,869,198	31,692,511
	व्याज से आय	(63,041,093)	(50,795,146)
	मूल्य हास तथा क्षति संबंधी व्यय	27,123,827	30,972,716
	संपर्क, प्लांट और उपकरण की बिक्री/वसूली पर लाभ	(3,406,226)	(2,871,762)
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व व्यवसायिक लाभ	130,102,571	114,445,641
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन हेतु समायोजन		
	स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(22,372,496)	47,835,064
	व्यापारिक लेनदारियों में कमी/(वृद्धि)	613,587,043	(85,961,774)
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	8,452,138	(3,637,313)
	अल्टकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(5,932,287)	15,533,728
	अन्य दीर्घकालीन दायित्व में (कमी)/वृद्धि	2,256,623	9,850,996
	व्यापारिक देनदारियों में (कमी)/ वृद्धि	(167,045,803)	(4,735,431)
	प्रावधानों में (कमी)/ वृद्धि	8,978,943	117,558
	अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/ वृद्धि	(1,909,413)	(109,422,418)
	व्यवसाय से उत्पन्न/(उपयोग) रोकड़	566,117,319	(15,973,949)
	शुद्ध आय कर (भुगतान) / वापसी	(49,087,284)	(34,565,954)
	व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (अ)	517,030,035	(50,539,903)
ब.	निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये हैं	(94,529,461)	(449,150,094)
	संपर्क, प्लांट और उपकरण पर पूँजीगत व्यय (प्राप्त पूँजीगत अनुदान का शुद्ध)	(3,489,679)	(705,798)
	प्राप्त व्याज	47,302,501	50,851,567
	संपर्क, प्लांट और उपकरण की बिक्री/वसूली पर प्राप्तियां	3,930,854	3,156,012
	निवेशकीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (ब)	(46,785,784)	(395,848,313)
स.	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	समता अंश जारी करने से प्राप्तियाँ	(32,776,600)	24,207,650
	अंश अवेदन हेतु प्राप्त राशि	8,877,000	16,948,800
	प्रतिष्ठाति (Security) प्रीमियम से प्राप्तियाँ	19,041,700	45,527,850
	कार्यशील पूँजी ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(11,394,580)	(42,841,785)
	लाभांश का भुगतान लाभांश कर सहित	(29,245,489)	(36,076,741)
	वित्त लागत भुगतान	(58,850,940)	(24,649,849)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (स)	(104,348,909)	(16,884,075)
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)(अ+ब+स)	365,895,342	(463,272,291)
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	335,242,130	798,514,421
	वर्ष के समाप्तन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	701,137,471	335,242,130
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के तत्व :		
	बैंकों में शेष:		
	चालू खातों में	343,684,597	40,702,194
	जमा खातों में	357,452,874	294,539,936
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण अनुसार	701,137,471	335,242,130
	जोड़िये : बैंक शेष जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये हैं	766,337,950	671,808,489
	चिन्हों के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष (नोट 16)	1,467,475,421	1,007,050,619

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

हास्ते संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते एस. बी. विहृतीमारिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह. / -

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

ह. / -

ममता चौधरी

निदेशक

डी.आई.एन.-07253296

ह. / -

सुखपाल जाट

निदेशक

डी.आई.एन.-06362918

ह. / -

रतन कुमार सिंह

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

डी.आई.एन.-00142430

ह. / -

अनंग गुप्ता

कम्पनी सचिव

एम.न. F5302

स्थान : जयपुर

दिनांक : 18 अगस्त, 2021

ह. / -

कपिल पचौरी

सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 अगस्त, 2021

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

1. कम्पनी के बारे में

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (“कम्पनी”) का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम, 2013 का भाग XXIA) के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था।

कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक दूध (पीपीएम) एवं धी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार, डेयरी फ्रैश एवं पशु के सीमेन की सेवाओं में भी व्यवसाय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं:-

a. लेखांकन का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने और कम्पनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम 2013”) के संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये हैं। एम.सी.ए. ने वर्ष के दौरान कम्पनीज़ अधिनियम, 2013 के अध्याय XIA के तहत प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होने वाली धारा को कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत और प्रोड्यूसर कम्पनियों पर लागू होने वाले नियम जिन्हें प्रोड्यूसर कम्पनी नियम, 2021 के रूप में जाना जाता है, को अधिसूचित किया है। कम्पनी के वित्तीय विवरण उपचय लेखांकन (Accrual Accounting) के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के संगत में इस वर्ष भी उन्हीं नीतियों का पालन किया गया है।

b. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग संपत्तियों एवं दायित्वों की राशियों (अनिश्चित दायित्वों को सम्मिलित करते हुए) तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कम्पनी प्रबन्धन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित है। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

c. रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में जमायें शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्ता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हें किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

d. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया है जिससे लाभ हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाले राशियाँ, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किए गये राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

e. आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जोकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता है।

f. अन्य आय

जमाओं पर व्याज की आय को उपार्जित के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

g. संपत्ति, प्लांट और उपकरण (मूर्त/अमूर्त)

संपत्ति, प्लांट और उपकरण

संपत्ति, प्लांट और उपकरण को उनकी लागत में से संचित ह्वास/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। संपत्ति, प्लांट और उपकरण की लागत का निर्धारण व्यापारिक बटटा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगाने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चों जो उस संपत्ति को बांछित प्रयोग में लाने के लिये किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चों तथा संपत्ति, प्लांट और उपकरण क्रय करने के हेतु लिये गये ऋण पर उसे बांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। संपत्ति, प्लांट और उपकरण पर क्रय करने के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार के अन्य खर्चों जिनसे संपत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पूंजीकरण किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को उनकी अधिग्रहण की लागत में से संचित परिशोधन और क्षति को कम करने के उपरांत दर्शाया गया है। अमूर्त संपत्ति मान्यता प्राप्त है, जहाँ यह संभावना है कि संपत्ति के कारण व्यवसाय को भविष्य के आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और जहाँ इसकी लागत को स्थिरता से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्ति की परिशोधन राशि को एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके उपयोगी अस्तित्व के सर्वोत्तम अनुमान पर आवंटित किया जाता है।

कम्पनी सॉफ्टवेयर लागत का पूंजीकरण करती है जहाँ उचित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर का एक उपयोगी अस्तित्व है। सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्वास प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष के उपयोगी अस्तित्व के अनुमान के आधार लगाया गया है।

h. प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे संबंधित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चों और आरोप्य व्याज की राशि शामिल है।

i. मूल्य ह्वास तथा परिशोधन

मूर्त / अमूर्त सम्पत्तियों पर मूल्य ह्वास/परिशोधन सम्पत्तियों के उपयोगी अस्तित्व पर सम्पत्तियों की प्रकृति, सम्पत्तियों का अनुमानित उपयोग, सम्पत्तियों की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन के अंतीम काइतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिक आश्वासन एवं रख-रखाव समर्थन आदि के आधार पर तकनीकी सलाह के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

मूल्य-ह्वास लगाने के लिये उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) निम्न प्रकार है:-

विवरण	उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)
बिलिंग	10
प्लांट एवं उपकरण	10
दूध के कैन	4
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	3
ऑफिस उपकरण	10
ट्रेड मार्क	5

मूल्य-ह्वास का आंकलन वृद्धि की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

सभी एकल संपत्तियाँ जिनकी लागत रु. 5,000/- या इससे कम है उन पर पूंजीकरण वर्ष में पूर्ण मूल्य ह्वास लगाया जाता है।

j. स्टॉक

स्टॉक में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग माल, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल है। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर एवं अप्रचलन एवं अन्य हानियाँ प्रदान करने के पश्चात् वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, पर किया जाता है। लागत का

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतु किये गये हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

k. अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य-हास संबंधित संपत्ति, प्लांट और उपकरण पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान के तरह माना जाता है तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य हास को स्थिगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशि को कम करते हुये लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

I. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

(a) निर्धारित योगदान योजनायें।

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ-हानि खातों में दर्शाया जाता है।

(b) निर्धारित लाभ योजनायें।

ग्रेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोतारी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ-हानि खातों में दर्शाया जाता है।

(c) अल्प-कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है। जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की सभांवना है।

(d) दीर्घ-कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समाप्तन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

m. प्रति शेयर अमय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर के पश्चात् शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्ट्यूड प्रति अंश आय की गणना, कर के पश्चात् के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित समता अंशों की संख्या (एन्टी डायल्ट्यूड समता की अंशों संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

n. आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर (Deferred Tax) शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

है। स्थगित कर संपत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर-शोषित-मूल्य हास (Unabsorbed Depreciation) एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर-शोषित-मूल्य हास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर हैं तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

०. ऋण की लागत

ऋण की लागत में व्याज तथा उससे संबंधित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता है। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूँजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूँजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता है। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्च मानकर लाभ-हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्च किया जाता है।

p. संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व-बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ-हानि खातें में आय के रूप में माना जाता है।

q. खंड की जानकारी

व्यवसाय खंड (प्राथमिक)

r. प्रमुख स्रोत, जोखिम और रिटर्न की प्रकृति और आंतरिक संगठन और प्रबंधन संरचना के आधार पर कम्पनी प्राथमिक खंडों की पहचान करती है। कम्पनी मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री का कार्य कर रही है। इसे एकल व्यवसाय खंड के रूप में माना गया है।

s. प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब कम्पनी को किसी पूर्वकालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके लिये उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा चिट्ठे बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे बनाने की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शनि हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को लेखां नोट्स में दर्शाया जाता है।

t. लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस संपत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ-हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

u. संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

नोट सं. विशिष्टियाँ	31 मार्च 2021 को स्थिति		31 मार्च 2020 को स्थिति	
	अंशों की संख्या	राशि (₹में)	अंशों की संख्या	राशि (₹में)
3. अंश पूँजी				
(अ) अधिकृत अंश पूँजी प्रति समता अंश राशि ₹. 100/-	5,000,000	500,000,000	5,000,000	500,000,000
(ब) जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी प्रति समता अंश राशि ₹. 100/-	4,019,649	401,964,900	4,177,927	417,792,700

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iv) देखें :-

नोट्स :-

(i) अंशों से सम्बन्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कंपनी ने एक श्रेणी के ₹. 100/- अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का अधिकारी है। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ तथा समापन पर समता अंशों तथा अदत्त राशियों का मिलान:

विशिष्टियाँ	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 समाप्त वर्ष के लिए	
	अंशों की संख्या	राशि (₹में)	अंशों की संख्या	राशि (₹में)
वर्ष के प्रारम्भ में अदत्त अंश	4,177,927	417,792,700	3,740,684	374,068,400
वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	414,991	41,499,100	910,557	91,055,700
वर्ष के दौरान निरस्त/समर्पण किए गए				
समता अंश	(573,269)	(57,326,900)	(473,314)	(47,331,400)
वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	4,019,649	401,964,900	4,177,927	417,792,700

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूँजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक अंश पूँजी नहीं है।

(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद/बैंक या बोनस के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई अंश जारी नहीं किये गये हैं।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2021 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति
4.	संचित एवं अधिशेष		
(अ)	सामान्य संचय		
	प्रारम्भिक शेष	513,256,762	491,627,305
	जोड़िये : लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष से अंतरित	57,702,737	21,629,456
	अंतिम शेष	<u>570,959,499</u>	<u>513,256,762</u>
(ब)	लाभ-हानि विवरण में अधिशेष		
	प्रारम्भिक शेष	29,245,489	36,076,740
	जोड़िये : वर्ष का लाभ	85,840,281	50,874,946
	घटाईयें :		
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को (रु. 7/- प्रति समता अंश)		
	अंतिम सीमित प्रतिफल (डीविडेंड)	29,245,489	29,925,472
	उपरोक्त सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) पर कर		6,151,269
	सामान्य संचय में अंतरित	<u>57,702,737</u>	<u>21,629,456</u>
	अंतिम शेष	<u>28,137,543</u>	<u>29,245,489</u>
(स)	प्रतिभूति प्रीमियम		
	प्रारम्भिक शेष	129,733,350	84,205,500
	जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंशों पर प्रीमियम	20,749,550	45,527,850
	घटाईये : वर्ष के दौरान निरस्त किये गये अंशों पर प्रीमियम	1,707,850	-
	अंतिम शेष	<u>148,775,050</u>	<u>129,733,350</u>
		<u>747,872,092</u>	<u>672,235,601</u>
5.	स्थगित अनुदान (Deferred Grant)		
	प्रारम्भिक शेष	73,380,250	104,393,894
	जोड़िये : वर्ष के दौरान पूँजीगत अनुदान का उपयोग(नोट 32 को देखें)	-	-
	घटाईये : पूँजीगत अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य छाप		
	(नोट 12 को देखें)	13,732,952	31,013,644
	अंतिम शेष	<u>59,647,298</u>	<u>73,380,250</u>

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट विविधियाँ सं.	31 मार्च 2021 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति
6. स्थगित कर (संपत्तियाँ)/दायित्व (Deferred tax (Assets)/liability)		
(अ) उन मदों का कर प्रभाव		
जो स्थगित कर (संपत्तियाँ)/दायित्वों का हिस्सा है :		
(i) संपत्ति, प्लॉट और उपकरण के पुस्तकों के शेष एवं कर शेषों में अंतर पर	(2,075,941)	(957,447)
	(2,075,941)	(957,447)
7. अन्य दीर्घकालीन दायित्व		
(अ) व्यवसाय/प्रतिभूति जमा प्राप्तियाँ	119,938,819	117,682,196
	119,938,819	117,682,196
8. अल्पकालीन ऋण		
(अ) असुरक्षित ऋण		
(i) बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	886,813,129	898,207,709
	886,813,129	898,207,709
9. व्यावसायिक देनदारियाँ		
(अ) लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की कुल बकाया राशि (नोट 34 को देखें)	6,466,201	6,636,331
(ब) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	523,592,338	690,468,011
	530,058,539	697,104,342

नोट: (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7(i) में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम के लिए कम्पनी पर ₹ 6,466,201 (पिछले वर्ष ₹ 6,636,331) का बकाया है, उपलब्ध जानकारी से जहाँ तक ऐसे पक्षों की पहचान की गई है। यह विश्वास लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट विविधियाँ सं.	31 मार्च 2021 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति
10. अन्य चालू दायित्व		
(अ) सदस्यता निरस्त की देनदारियाँ	14,685,831	16,163,575
(ब) अर्जित ब्याज परन्तु ऋण पर देय नहीं	8,552,751	13,534,493
(स) अदत्त/अदावाकृत (Unclaimed) लाभाश	5,375,592	5,888,097
(द) बैधानिक प्रेषण (PF और ESIC में योगदान, स्रोत पर कर कटौती आदि)	5,089,396	5,769,877
(य) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	4,776,357	3,876,058
(र) एन.डी.डी.बी. को देय-अप्रयुक्त अनुदान (नोट 32 को देखें)	-	138,983
	38,479,927	45,371,082
11. अल्पकालीन प्रावधान		
(अ) ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान (ग्रेच्युटी फंड का शुद्ध रु. Nil; पिछले वर्ष- रु. 15,369,100)	-	117,558
(ब) अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान (फंड का शुद्ध रु. 18,788,306; पिछले वर्ष- रु. Nil)	9,096,501	-
(स) आयकर हेतु प्रावधान (शुद्ध कर भुगतान रु. Nil; पिछले वर्ष रु. 34,570,761)	-	21,312,018
	9,096,501	21,429,576

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

12. संपत्ति, प्लाट और उपकरण

(राशि ₹ में)

	विशेषियाँ	सकल बलांक			संचित मूल्य हास्य / क्षति			शुद्ध बलांक	
		01 अप्रैल, 2020 को स्थिति	बढ़ि	निकासन 31 मार्च 2021 को स्थिति	वर्ष के लिये निकासन पर हानि	31 मार्च 2021 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति
(अ) मूर्त संपत्तियाँ (स्वयं की)									
बिलिंग	7,204,318	-	3,454,551	3,749,767	5,341,835	303,067	3,454,551	2,190,351	1,559,416
(पिछले वर्ष)	(7,204,318)	(-)	(-)	(7,204,318)	(5,038,768)	(303,067)	(-)	(5,341,835)	(1,862,483)
प्लाट एवं उपकरण	465,221,973	2,375,818	5,352,975	462,243,915	275,191,823	38,800,152	4,828,347	309,163,629	153,080,286
(पिछले वर्ष)	(467,751,426)	(438,370)	(2,968,723)	(465,221,073)	(232,532,228)	(45,344,068)	(2,684,472)	(275,191,823)	(190,029,249)
फर्मचर तथा फिरवार्स	23,025,369	-	97,564	22,927,805	21,767,575	126,104	97,564	21,796,115	1,131,689
(पिछले वर्ष)	(23,130,321)	(-)	(104,952)	(23,025,369)	(21,746,424)	(126,104)	(104,952)	(21,767,575)	(1,257,793)
ऑफिस उपकरण	6,689,906	-	-	6,689,906	3,720,468	622,486	-	4,342,954	2,346,952
(पिछले वर्ष)	(6,549,906)	(140,000)	(-)	(6,689,906)	(3,099,884)	(620,634)	(-)	(3,720,468)	(2,969,438)
कानूनी दस्तावेज़	81,443,789	866,061	67,599	82,242,251	81,312,984	292,264	67,599	81,537,649	704,602
(पिछले वर्ष)	(81,482,304)	(127,428)	(165,944)	(81,443,789)	(80,908,791)	(570,136)	(165,944)	(81,312,984)	(130,805)
योग(अ)	533,584,454	3,241,879	8,972,689	577,853,644	387,334,686	40,144,073	8,448,061	419,030,698	158,822,946
गत वर्ष	(586,118,275)	(705,798)	(3,239,619)	(583,584,454)	(343,326,045)	(46,964,008)	(2,955,368)	(387,334,686)	(196,249,769)
(ब) अमूर्त संपत्तियाँ (स्वयं के अलावा अन्य अधिगति)									
कानूनी दस्तावेज़	136,025,200	-	-	136,025,200	135,083,012	712,706	-	135,795,718	942,188
(पिछले वर्ष)	(136,025,200)	(-)	(-)	(136,025,200)	(120,060,660)	(15,022,352)	(-)	(135,083,012)	(942,188)
देट मार्क	90,000	-	-	90,000	90,000	-	-	90,000	-
(पिछले वर्ष)	(90,000)	(-)	(-)	(90,000)	(90,000)	(-)	(-)	(90,000)	(-)
योग(ब)	136,115,200	-	-	136,115,200	135,173,012	712,706	-	135,885,718	942,188
पिछले वर्ष	(136,115,200)	(-)	(-)	(136,115,200)	(120,150,660)	(15,022,352)	(-)	(135,173,012)	(942,188)
(स) प्रणति अधीन पूर्जीवात कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	247,800
योग(स)	-	-	-	-	-	-	-	-	247,800

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

नोट्स :

(i) मूल्य हास एवं फ्रॉट संबंधी व्यव

मूर्त संपत्तियों पर

अमूर्त संपत्तियों पर

घटाईः : अनुदान से खरीदी गई सम्पत्तियों पर मूल्य हास

(ii)

पूर्णिगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त शारणी में शामिल संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट 32 को देखें) :-

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
(राशि ₹ में)		(राशि ₹ में)	
40,144,073		46,964,008	
712,706		15,022,352	
<u>13,732,952</u>		<u>31,013,644</u>	
			<u>30,972,716</u>

संपत्तियां	सकल ब्लॉक			सचित मूल्य हास/शहति			शुद्ध ब्लॉक
	01 अप्रैल, 2020 को स्थिति	वृद्धि निकास	31 मार्च 2021 को स्थिति	01 अप्रैल, 2020 को स्थिति	वर्ष के लिये संपत्तियों के निकासन प्र. हासि	31 मार्च 2021 को स्थिति	
मूर्त संपत्तियां :-							
बिलिंग	3,190,183 (3,190,183)	- (-)	3,190,183 (3,190,183)	1,327,698 (1,024,631)	303,067 (303,067)	- (-)	1,630,765 (1,327,698)
(पिछले वर्ष) लांट एवं ऊपरकरण	169,250,396 (169,254,935)	- (-)	161,856 (4,539)	169,088,540 (169,250,396)	100,247,655 (84,091,861)	12,865,061 (16,160,313)	113,10,107 (45,539)
(पिछले वर्ष) आफिस उपकरण	4,888,768 (4,888,788)	- (-)	- (-)	4,888,768 (4,888,788)	2,735,902 (2,274,664)	461,238 (461,238)	- (-)
(पिछले वर्ष) फर्माचर तथा फिल्चर	19,501,323 (19,606,275)	- (-)	97,564 (104,952)	19,403,759 (19,501,323)	19,048,392 (19,108,212)	45,132 (45,132)	97,564 (104,952)
(पिछले वर्ष) कम्प्यूटर्स	72,772,315 (72,930,046)	- (-)	67,599 (157,731)	72,704,716 (72,772,315)	72,772,315 (72,866,261)	- (63,785)	67,599 (157,731)
(पिछले वर्ष) अमूर्त संपत्तियां	130,233,393 (130,233,393)	- (-)	- (-)	130,233,393 (130,233,393)	130,174,939 (116,194,830)	58,454 (13,980,109)	- (-)
(पिछले वर्ष) कम्प्यूटर रोटियर	399,836,397 (400,103,619)	- (-)	327,019 (267,222)	399,509,378 (399,836,397)	326,306,379 (295,560,457)	177,751 (31,013,645)	339,862,080 (267,222)
योग							59,647,298 (73,529,518)
(पिछले वर्ष)							

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2021 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति
13.	दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) प्रतिभूति जमा	848,850	8,864,349
	(ब) पूर्वदत्त व्यय	8,470	445,109
	(स) अग्रिम कर (प्रावधानों का शुद्ध रु. 31,56,26,612 पिछले वर्ष रु. 28,36,26,612)	13,832,198	16,892,010
		14,689,518	26,201,468
14.	स्टॉक		
	(लागत तथा शुद्ध बसूली योग्य मूल्य जो कम हो उस पर)		
	(अ) स्टॉक इन ट्रेड	60,515,312	42,671,270
	(ब) स्टॉक इन ट्रेड (इन ट्रांजिट)	42,822,979	38,294,525
		103,338,291	80,965,795
15.	व्यावसायिक लेनदारियाँ		
	(अ) देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया- सुरक्षित, उचित माने गये	-	1,470,413
	(ब) अन्य		
	(i) सुरक्षित, उचित माने गये	24,655,832	29,174,902
	(ii) असुरक्षित, उचित माने गये	974,199,672	1,581,797,232
		998,855,504	1,612,442,547
16.	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
	(अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
	(i) बैंक में जमा :		
	(अ) चालू खातों में	343,684,597	40,702,194
	(ब) जमा खातों में -वास्तविक परिपक्ता की अवधि तीन महीनों से कम रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य लेखा मानक 3 के अनुसार	357,452,874	294,539,936
		701,137,471	335,242,129
	(ब) अन्य बैंक शेष		
	(i) जमा खाते में (वास्तविक परिपक्ता की अवधि तीन महीनों से अधिक)	760,962,358	641,801,064
	(ii) बैंक ओवरड्रॉफ्ट सुविधा के सम्मुख प्रतिभूति के रूप में शेष राशि	-	24,119,328
	(iii) निर्धारित खातों में -अदत्त लाभांश खाते	5,375,592	5,888,097
		1,467,475,421	1,007,050,619

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति
17.	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम	10,740	4,740
	(ब) गेन्युटी फंड (दायित्वों का शुद्ध रु. 1,63,87,885; पिछले वर्ष रु. Nil)	1,695,847	-
	(स) अवकाश नकदीकरण फंड (दायित्वों का शुद्ध रु. Nil; पिछले वर्ष रु. 1,17,45,317)	-	3,895,388
	(द) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	539,901	246,615
	(य) पूर्वदत व्यय	5,230,309	6,423,604
	(र) प्रतिभूति जमा	8,474,499	-
	(ल) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	2,839,549	2,288,210
		18,790,845	12,858,557
18.	अन्य चल संपत्तियां (असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) अर्जित ब्याज परन्तु बैंक जमाओं पर देय नहीं	38,222,457	22,483,866
		38,222,457	22,483,866
नोट सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
19.	व्यवसाय से आय		
	(अ) उत्पादों की बिक्री		
	(i) सकल विक्रय		
	(ii) घटाईये : पुनः क्रय के लिए तृतीय पक्ष (दृग्ध प्रोसेसर) को विक्रय	12,440,430,117	18,619,032,063
	(निर्दिष्ट नोट संख्या (i) देखें)	624,150,606	1,410,115,166
	(iii) शुद्ध विक्रय	11,816,279,511	17,208,916,896
नोट:	(i) दृग्ध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए तृतीय पक्ष को विक्रय, जो उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए पुनः क्रय किया जाता है, को दर्शाता है।		
	विक्रय किये गये उत्पाद		
	(ii) व्यावसायिक माल		
	(अ) कच्चा दुध	10,212,538,251	14,406,039,124
	(ब) पॉली पैक दुध	648,747,462	1,376,739,060
	(स) अन्य दूध उत्पादक	33,696,114	82,531,516
	(द) धी	259,287,763	398,560,837
	(य) पशु आहार	648,397,753	932,770,073
	(र) सीमेन	13,612,169	12,276,288
	कुल	11,816,279,512	17,208,916,896
20.	अन्य आय		
	(अ) ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	63,041,093	50,795,146
	(ii) आयकर रिफाउ पर	1,163,646	-
	(ब) अन्य गैर-व्यवसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	451,553	1,750,926
	(ii) दायित्व जिसे वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है।	-	792,725
	(iii) संपत्ति, प्लॉट और उपकरण की बिक्री पर लाभ	3,406,226	2,871,762
	(iv) अवशिष्ट विक्रय	4,093,725	80,914
	(v) विविध आय	3,942,160	5,838,957
		76,098,403	62,130,430

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट विशिष्टियाँ सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
21. व्यवसायिक माल का क्रय		
(अ) कच्चा दुध	9,226,869,178	12,993,927,367
(ब) पॉली पैक दुध	560,532,676	1,429,090,067
(स) धी	274,016,672	442,290,720
(द) पशु आहार	633,540,029	923,873,616
(य) अन्य दूध उत्पादक	27,967,563	79,255,446
(र) सीमेन	18,951,353	23,248,391
	10,741,877,471	15,891,685,607
22. तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेंड में परिवर्तन तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेंड में कमी/(वृद्धि)		
(अ) वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेंड	42,671,270	62,384,208
स्टॉक इन ट्रांजिट	38,294,525	66,416,651
	80,965,795	128,800,859
(ब) वर्ष के समाप्त पर स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेंड	60,515,312	42,671,270
स्टॉक इन ट्रांजिट	42,822,979	38,294,525
	103,338,291	80,965,795
स्टॉक में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	(22,372,496)	47,835,064
23. कर्मचारी लाभों संबंधी व्यय		
(अ) बेतन एवं मजदूरी	120,072,479	107,045,331
(ब) भविष्य व अन्य निधियों में योगदान	7,707,663	11,054,753
(स) कर्मचारी कल्याण व्यय	3,852,527	4,059,694
	131,632,669	122,159,778

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट	विविच्छियाँ	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
24.	वित्त लागत		
	(अ) ऋण पर ब्याज व्यय	53,869,198	31,692,511
	(ब) वैधानिक देय भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	552,505	18,753
		54,421,703	31,711,264
25.	अन्य व्यय		
	(a) स्टोर्स तथा स्पेर्यर्स का उपभोग	19,655,302	13,857,441
	(b) पॉवर एवं फ्यूल	2,051,826	2,457,399
	(c) दुध अवशीतन शुल्क	114,181,212	141,326,181
	(d) किराया	7,266,573	7,051,676
	(e) मरम्मत एवं रख-रखाव - भवन	8,509,825	4,639,517
	(f) मरम्मत एवं रख-रखाव - मशीनरी	38,580,264	73,348,393
	(g) मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्य	621,433	1,403,255
	(h) विज्ञापन एवं व्यापार संबद्धन	20,533,138	40,481,877
	(i) भाडा, अप्रेषण एवं वितरण व्यय	472,399,095	580,312,015
	(j) बीमा भार	7,053,567	5,750,674
	(k) विधिक एवं पेशेवर शुल्क	23,818,742	28,765,278
	(l) अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	2,091,810	1,938,904
	(m) यात्रा एवं परिवहन व्यय	11,403,694	17,065,374
	(n) प्रशिक्षण व्यय	76,014	4,107,426
	(o) संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	82,112,029	85,149,391
	(p) संप्रेषण व्यय	16,673,658	18,488,867
	(q) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (नीचे दिया गया नोट (ii) देखें)	2,734,859	-
	(r) विविध व्यय	14,374,835	15,091,905
		844,137,876	1,041,235,575
नोट:			
(i)	अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है :		
	(अ) वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	1,492,480	1,356,000
	(ब) कर अंकेक्षण शुल्क	233,200	212,000
	(स) खर्चों की प्रतिपूर्ति	47,040	75,139
	(द) उपरोक्त पर कर	319,090	295,765
		2,091,810	1,938,904
(ii)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		
	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि 2,734,859 (पिछले वर्ष-Nil) थी।		
a.	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :		
	(i) किसी सम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण		
	- नकद/बैंक में	-	-
	- अभी तक नकद/बैंक में भुगतान किया जाना है	-	-
		-	-
	(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य पर		
	- नकद/बैंक में	2,734,859	-
	- अभी तक नकद/बैंक में भुगतान किया जाना है	-	-
		2,734,859	-
	कुल(i)+(ii)	2,734,859	-

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

(राशि ₹ में)

नोट विशिष्टियाँ सं.	31 मार्च 2021 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति
---------------------	-------------------------	-------------------------

<p>26. आकस्मिक दायित्व एवं प्रतिबद्धतायें</p> <p>अ. आकस्मिक दायित्व</p> <p>(a) कम्पनी के सम्मुख दावा जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया</p> <p>(i) मुकदमों के अंतर्गत उपभोक्ता दावें</p> <p>ब. प्रतिबद्धतायें</p> <p>पूँजी खातें पर निष्पादित होने वाले शेष सविदा के अनुमानित राशि और प्रदान नहीं किया गया</p> <p>(शुद्ध अग्रिमों का भुगतान रु. Nil)</p>	
27.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में, दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निदेशक मंडल की बैठक में कम्पनी के पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रु. 2,81,37,543 (रु. 7 प्रति अंश) अंतिम लाभांश के रूप में भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया है। समता लाभांश वार्षिक आम सभा में शेयर धारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा तथा वित्तीय विवरणों में दायित्वों के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित समता लाभांश पूर्ण प्रदत्त अंशों के सभी धारकों को देय है।
28.	कम्पनी ने अपने सदस्यों से रु. 88,77,000 की अंश आवेदन राशि प्राप्त की, जिसके समक्ष 27 अप्रैल, 2021 को आयोजित बोर्ड की बैठक में आंवटन कर दिया गया है।
29.	<p>कर्मचारी लाभ योजनायें</p> <p>निर्धारित योगदान योजनायें</p> <p>कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनायें प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निर्दिष्ट दर पर कर्मचारी और कम्पनी दोनों ही योगदान का भुगतान करते हैं।</p> <p>कम्पनी ने रु. 7,410,717 (पिछले वर्ष रु. 7,292,593) की राशि को लाभ-हानि खातें में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।</p> <p>निर्धारित लाभ योजना</p> <p>कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्यूटी योजना (एक मुश्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनायें कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के बर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्यूटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्यूटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।</p> <p>निम्न टेबल ग्रेच्यूटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।</p>

	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
i. निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	15,486,658	11,045,996
ब्याज लागत	1,029,933	829,855
चालू सेवा लागत	2,625,929	2,916,100
लाभ का भुगतान	(501,924)	(253,701)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(2,252,711)	948,408
वर्ष के समापन पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	16,387,885	15,486,658
ii. योजना संपत्तियों का उचित मूल्य		
वर्ष के प्रारंभ में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	15,369,100	12,519,515
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	1,211,381	1,059,387
योगदान	2,467,732	2,097,359
लाभ का भुगतान	(859,305)	(179,977)
योजना संपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(105,176)	(127,184)
वर्ष के समापन पर योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	18,083,732	15,369,100
iii. योजना संपत्तियों पर प्राप्ति		
योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	1,211,381	1,059,387
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(105,176)	(127,184)
योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	1,106,205	932,203
iv. चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि		
निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	16,387,885	15,486,658
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	18,083,732	15,369,100
चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	(1,695,847)	117,558
v. लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे		
वर्तमान सेवा लागत	2,625,929	2,916,100
ब्याज व्यय	1,029,933	829,855
योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	(1,211,381)	(1,059,387)
वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध (लाभ)/हानि	(2,147,535)	1,075,592
लाभ/हानि खाते में स्वीकृत व्यय	296,946	3,762,160
vi. चिट्ठे का मिलान		
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध दायित्व / (संपत्तियाँ)	117,558	(1,473,519)
उपरोक्तानुसार व्यय	296,946	3,762,160
योगदान	(2,467,732)	(2,097,359)
वर्ष के समापन पर शुद्ध दायित्व/(संपत्तियाँ)	(2,053,228)	191,282

कम्पनी की योजना संपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, कम्पनी के ग्रेच्यूटी योजना के दायित्वों को पूरा करने के लिये, कम्पनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत किया जाता है। योजना संपत्तियों की श्रेणी के बारें में सूचना सामूहिक ग्रेच्यूटी कोष में विनियोग पद्धति के सन्दर्भ में कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता तथा खर्चों हेतु बीमांकिक गणना निम्न अनुमानों पर आधारित हैं जिनमें यदि परिवर्तन होता है तो निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, पोषण आवश्यकताओं तथा खर्चों की राशि में परिवर्तन हो सकता है।

vii. मुख्य बीमांकिक अनुमान

	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
बट्टे की दर	6.76 % वार्षिक	6.76 % वार्षिक
अनुमानित वेतन वृद्धि	8.00 % वार्षिक	10.00 % वार्षिक
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	7.49 % वार्षिक	7.83 % वार्षिक
संघर्षण दर (Attrition rate)		
30 वर्ष से कम	3 %	3 %
आयु 31 से 44 वर्ष	2 %	2 %
आयु 44 और इससे अधिक	1 %	1 %
प्रयुक्त मृत्यु-दर सारणी	आई.ए.एल.	आई.ए.एल.
Mortality table used	(2012-14)	(2012-14)
	(अन्तिम)	(अन्तिम)

योजना सम्पत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर कई लागू कारक, जैसे कि योजना सम्पत्तियों की संरचना, निवेश योजना, बाजार परिदृश्य आदि, पर विचार करने के बाद निर्धारित की जाती है।

बट्टे की दर आर्थिक चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित प्रतिबद्धताओं की अनुमानित अवधि के लिये बाजार लाभ पर निर्भर करती है।

भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि मंहगाई, वरिष्ठता, पद्धोन्तियों, वेतन वृद्धि एवं अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

viii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के लिये बीमांकिक अनुमान

उपरोक्त vii के समान मुख्य बीमांकिक अनुमानों का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

ix. अनुभव समायोजन

	31.03.2021 (रुपये में)	31.03.2020 (रुपये में)	31.03.2019 (रुपये में)	31.03.2018 (रुपये में)	31.03.2017 (रुपये में)
निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	16,387,885	15,486,658	11,045,996	7,855,495	6,025,647
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	18,083,732	15,369,100	12,519,515	8,320,938	6,264,923
पोषित स्थिति	(1,695,847)	117,558	(1,473,519)	(465,443)	(239,276)
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	2,252,711	(948,408)	(641,882)	335,559	(1,053,859)
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	(105,176)	(127,184)	(135,146)	(74,436)	(58,762)

नोट सं. 30. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज किराया संबंधी रु. 72,66,573 (पिछले वर्ष रु. 70,51,676) के खर्चों को लाभ-हानि खाता विवरण में दर्शाया है।

कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के भवन की लीज 4 वर्ष तथा 11 माह के लिए की गई है जो 3 माह का नोटिस देकर Lessee की मांग पर निरस्त की जा सकती है। अनुबंध में लीज के भुगतान को प्रत्येक 3 वर्ष बाद 15 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का प्रावधान है। कलस्टर एवं बिन्दायका कार्यालय की लीज क्रमशः 6 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए है एवं लीज का भुगतान प्रत्येक वर्ष बाद 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। अन्य कार्यालय परिसर का 11 महीने की अवधि के लिये किरायेनामा है, जिससे केवल Lessee द्वारा Lessor की अनुमति से निरस्त किया जा सकता है।

भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्न प्रकार है :

विशिष्टियाँ	31 मार्च 2021 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति
एक वर्ष बाद देय नहीं	5,954,058	4,273,043
एक वर्ष बाद देय पर पांच वर्ष बाद देय नहीं	11,557,325	5,564,799
पांच वर्ष बाद देय	-	-
	17,511,383	9,837,842

नोट सं. 31. प्रति समता अंश आय

(राशि ₹ में)

विशिष्टियाँ	ईकाई	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष पर
कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	85,840,281	50,874,946
वर्ष के दौरान भारित औसत अदत्त			
समता अंशों की संख्या	संख्या	4,219,301	3,800,924
प्रति समता अंश अंकित मूल्य	रूपये	100	100
प्रति अंश मूल आय	रूपये	20.34	13.38
प्रति अंश डायल्यूड आय की गणना हेतु			
प्रयोग किये गये समता अंश	संख्या	4,219,466	3,801,233
प्रति अंश डायल्यूड आय	रूपये	20.34	13.38

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

नोट सं. 32. सरकारी अनुदानों का विवरण

क्र.स.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष पर
	नेशनल डेयरी डबलपर्मेंट बोर्ड से प्राप्त अनुदानों का विवरण एवं उनका उपयोग निम्न प्रकार है:-		
(अ)	प्रारंभिक शेष	138,982	(1,366,600)
(ब)	वर्ष के दौरान प्राप्त	3,503	10,373,728
		<hr/> 142,485	<hr/> 9,007,128
(स)	वर्ष के दौरान उपयोग		
	(i) आयगत व्यय के लिये	-	8,868,146
(द)	वर्ष के दौरान वापसी	142,485	-
(य)	शेष को आगे ले गये(अ+ब+स)	<hr/> (-)	<hr/> 138,982

नोट: पूँजीगत संपत्तियों के खरीद में उपयोग किया गया अनुदान, स्थगित अनुदान में दर्शाया गया है तथा आयगत अनुदान के उपयोग को उससे संबंधित खर्चों में समायोजित कर दिया गया है। (देखें नोट 2k)

नोट सं. 33. लेखा-मानक (AS)-18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण” (Related Party Disclosures) का विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंधित स्वरूप

संबंधित स्वरूप	व्यक्ति का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पीं)	रतन कुमार सिंह
(ब) उपरोक्त संबंधित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन-देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है:-	

(राशि ₹ में)

विशिष्टियाँ	मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	योग
प्रबंधक पारिश्रमिक:-		
रतन कुमार सिंह	6,327,037 (6,255,175)	6,327,037 (6,255,175)

कोष्ठक में दिखाई गई संख्या पिछले वर्ष की संख्या को दर्शाती है।

34. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण

विवरण

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये
(i) लेखांकन वर्ष के समाप्त पर किसी भी आपूर्तिकर्ता की अदत्त मूल राशि	6,466,201	6,636,331
(ii) लेखांकन वर्ष के समाप्त पर किसी भी आपूर्तिकर्ता के बकाया अदत्त राशि पर व्याज	-	-
(iii) नियुक्ति की दिनांक के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ व्याज की राशि	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय और भुगतान के योग्य व्याज की राशि	-	-
(v) अर्जित व्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के समाप्त पर अदत्त पूर्ववर्ती वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य अतिरिक्त व्याज की राशि ऐसी दिनांक तक जब तक कि देय व्याज की राशि का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है।	-	-
प्रबंधन द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर, सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी उद्योगों को देय राशि का निर्धारण किया गया है। लेखा परीक्षक द्वारा इसी पर विश्वास किया गया है।	-	-
35. कम्पनी दुध तथा पशु आहार के व्यवसाय से संबंधित है। जिसको एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में माना जाता है। कम्पनी भारत के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है। चंकि कम्पनी एक व्यावसायिक एवं भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है इसलिए लेखा मानकों AS-17 के अनुसार खण्ड सूचना प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।	-	-
36. 20 सितम्बर, 2019 को, भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 से आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115BAA को सम्मिलित किया गया है, जो घरेलू कम्पनियों को दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से कुछ शर्तों के साथ 30 प्रतिशत के स्थान पर 22 प्रतिशत की कम दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करता है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कठ व्यय को कम कर की दर से प्रदान किया गया है।	-	-
37. गृह मंत्रालय ने दिनांक 24.03.2020 को क्रमांक सं. 40-3/2020 के आदेश के अनुसार, देश में लॉकडाउन लगाया गया और कम्पनी के दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के व्यापार को एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया। इसलिए, डेयरी व्यवसाय जैसाकि संचालित होता है, उन व्यवसायों में से है जो COVID-19 के कारण सबसे कम प्रभावित हुई है। कम्पनी को विश्वास है कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन पर COVID-19 19 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के अनुमानों में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की अपेक्षा नहीं कर रही है क्योंकि कम्पनी अपने व्यवसाय और परिचालन को बिना किसी बड़ी रुकावट के संचालित कर रही है।	-	-
38. वित्तीय वर्ष 2016-2017 में विशिष्ट बैंक नोटों की प्राप्ति और जमा रु. 3,45,70,500 (दिनांक 09 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 के दौरान), को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 के तहत अधोषित आय के रूप में माना है और भविष्य निधि की राशि रु. 497,735 के विलंबित भुगतान को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान, कम्पनी को आयकर अधिकारियों से डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है। कर दायित्व और व्याज दायित्व क्रमशः रु. 2,68,77,967 और रु. 78,72,361 है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कम्पनी के निदेशक मंडल ने “विवाद से विश्वास योजना” के तहत उपलब्ध अवसर का चयन करने का निर्णय किया, जिसके लिए कम्पनी के खातों में रु. 2,68,77,967 की राशि का प्रावधान किया था और कम्पनी ने पिछले वर्ष में रु. 63,90,100 का प्रारंभिक भुगतान किया था और वर्तमान वर्ष के दौरान रु. 2,04,87,867 की बकाया कर मांग का भुगतान/रिफण्ड के समक्ष समायोजित कर दिया गया है।	-	-
39. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुसार, जहाँ भी आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत / पुनःएकत्र किया गया है।	वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से	-

ह./-
ममता चौधरी
निदेशक
डी.आई.एन.-07253296

ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. F5302

ह./-
सुखपाल जाट
निदेशक
डी.आई.एन.-06362918

ह./-
कपिल पचौरी
सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.-00142430

स्थान : जयपुर
दिनांक : 18 अगस्त, 2021

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
 दूरभाष नं. 91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की दसवीं वार्षिक आम सभा बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 09.30 बजे होटल महल रजवाड़ा रिसोर्ट, निकट वैशाली नगर थाना, वैशाली नगर, जयपुर-302021 पर निम्न कार्यों के लिये होगी:-

- 31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-

“दिनांक 31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

- कम्पनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी पर रु. 7/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 4019649 समता अंशों पर रु. 2,81,37,543/- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

- श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन.-08075740), जो बोर्ड में “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन.-08075740), जो बोर्ड में “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

- श्री सुखपाल जाट (डी.आई.एन.-06362918), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः-अध्यादेश) के अनुसार, श्री सुखपाल जाट (डी.आई.एन.-06362918), निदेशक जो इस

आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, के स्थान पर श्री भागचन्द (डी.आई.एन.-09286255), जो “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

5. श्री रामचरण जाट (डी.आई.एन.-08193547), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत हो रहे हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्री रामचरण जाट (डी.आई.एन.-08193547), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, के स्थान पर श्री विजय सिंह मीणा (डी.आई.एन.-09286327), जो “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को कम्पनी (अंकेक्षकों और ऑफिट) नियम, 2014 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के साथ पढ़े जाने के अनुसार, मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, गुरुग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को पारिश्रमिक रूपये 15,70,000 (अक्षरे पन्द्रह लाख सत्तर हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है।”

7. 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

8. श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन.-09286071), को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना, जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है और इस सम्बन्ध में सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन.-09286071) जो “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

9. कम्पनी के बहिर्नियम के उद्देश्य अनुच्छेद में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:-

“कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA से सम्बन्धित प्रावधानों तथा धारा 13 और कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्ण-अध्यादेश), कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अन्तर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार और अपेक्षित अनुमोदन के अधीन, यदि कोई हो, अंशधारकों की सहमति से कम्पनी के बहिर्नियम के वर्तमान अनुच्छेद IIIA को निम्नलिखित नये अनुच्छेद 5 को जोड़कर और वर्तमान अनुच्छेद 5 को नए अनुच्छेद 6 के रूप में पुनर्संख्यांकित कर संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

“5. सदस्यों (मुख्यतः) और अन्य लोगों से प्राथमिक उत्पाद और उसके व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) की खरीद, उत्पादन, प्रोसेसिंग, बिक्री, व्यवसाय, आयात, नियर्ता का व्यवसाय करना, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य तेल, फल और सब्जियां सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, का विपणन करना, और उन कार्यकलापों में व्यवहार करना जो प्राथमिक उत्पादन से संबंधित किसी गतिविधि का भाग हैं या उसके लिए प्रासंगिक है।”

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

10. कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्ण-अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सके) के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अन्तर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार अंशधारकों की सहमति से कम्पनी के अन्तर्नियमों को जहाँ तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है-

अनुच्छेद 1.2, 1.3(i), 1.3(ii), 2.1(i), 2.1(vii), 2.1(ix), 2.1(xiii), 9.17, 9.18(ii) (k), 19.1 को नियमानुसार और जहाँ तक प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है और अनुच्छेद 2.1(viii) के बाद नया अनुच्छेद 2.1(viiia) सम्मिलित करने और अनुच्छेद 11.12(iii) को हटाने तथा नया अनुच्छेद 11.13 को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है:

अनुच्छेद 1.2:- अधिनियम की अनुसूची I में लिखित विनियम 45 से 47 को छोड़कर, तालिका ‘F’ में निहित कोई भी विनियम, कम्पनी पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 1.3(i):- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378A (i) के अनुसार कम्पनी एक उत्पादक कम्पनी है।

अनुच्छेद 1.3(ii):- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378C(5) के अर्थ में कम्पनी को एक निजी कम्पनी माना जाता है और तदनुसार:

- निम्न प्रकार से कम्पनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हैं: तथा
- कम्पनी के अंशों अथवा ऋण पत्रों के आवेदन हेतु जन आमंत्रण प्रतिबंधित हैं।

अनुच्छेद 2.1. (i):- ‘अधिनियम’ का अर्थ है, कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) या समय-समय पर लागू होने वाले कोई भी वैधानिक संशोधन या पुर्ण अध्यादेश है।

अनुच्छेद 2.1.(vii):- ‘कम्पनी’ का अर्थ है पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड।

- अनुच्छेद 2.1.(viiia):- ‘विशेषज्ञ निदेशक’ का अर्थ है अधिनियम की धारा 378P में निर्दिष्ट निदेशक से है।
- अनुच्छेद 2.1.(ix):- ‘वित्तीय वर्ष’ का अर्थ है, प्रत्येक वर्ष मार्च की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि से है, जिसके संबंध में कम्पनी का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है।
- अनुच्छेद 2.1.(xiii):- ‘पारस्परिक सहायता के सिद्धांत’ का अर्थ है, अधिनियम के अध्याय XXIA में निर्धारित सिद्धान्त, और जैसाकि अनुच्छेद 3 में प्रदान किए गए हैं।
- अनुच्छेद 9.17:- अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल, बोर्ड एवं उसकी समितियों में भाग लेने के लिए, जैसा कि निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किया गया है, निदेशकों द्वारा यात्रा एवं होटल व्यय सहित शुल्क तथा भर्तों के पात्र होंगे।
- अनुच्छेद 9.18(ii)(k):- अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के नियमों के अनुसार नोमिनेशन कमेटी का गठन करना, आम सभा व इन अनुच्छेदों के अनुसार स्वीकृत परिभाषित मानदंडों के आधार पर बोर्ड के पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की जाँच करना, और तदानुसार बोर्ड के विचार हेतु पात्र सदस्यों का नाम सुझाना। इस पर बोर्ड, बोर्ड सभाओं में पर्याप्त विचार करने के पश्चात, वार्षिक आमसभा में सदस्यों के द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने हेतु बोर्ड के पदों के लिए सदस्यों का नाम सुझायेगा।
- अनुच्छेद 11.13:- आम सभा में किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मदों को सामान्य माना जाएगा और अधिनियम की धारा 102 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- अनुच्छेद 19.1:- बोर्ड मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबन्ध करेगा, कम्पनी के (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियमों 2014 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड को दिये गए पिछले अधिकार के द्वारा या बोर्ड द्वारा नियुक्त एवं अधिकृत समिति के अलावा मुहर किसी भी दस्तावेज पर नहीं लगाई जाएगी, बोर्ड ऐसे व्यक्ति (यों) को नियुक्त कर सकता है जो प्रत्येक उस दस्तावेज पर कानून के अंतर्गत निर्धारित किसी भी तरीके से हस्ताक्षर करें जिन पर उनकी उपस्थिति में मुहर लगाई गई है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

11. कम्पनी की पाँचवीं वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 11/2016–17 के आंशिक संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी की पाँचवीं वार्षिक आम सभा में पारित पूर्व प्रस्ताव संख्या 11/2016–2017 दिनांक 19.09.2016 के आंशिक संशोधन और अनुच्छेद 6.8, अनुच्छेद 8 तथा कम्पनी के अंतर्नियमों के लागू होने वाले अन्य अनुच्छेदों, कम्पनी अधिनियम 2013 के भाग XXIA तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (समय पर किये गये संशोधनों के साथ लागू होने वाले) के अनुसार तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों, अनुज्ञाओं के साथ ऐसे ही कम्पनी के सदस्य, निदेशक मण्डल को कम्पनी द्वारा जारी किये गये अंशों को क्रय तथा कम्पनी द्वारा जारी अंशों के समर्पण, उचित मुल्याकांक्ष पद्धति के आधार पर निर्धारित प्रीमियम के साथ स्वीकार करने तथा ऐसे कोई नियम एवं शर्तें तथा बोर्ड द्वारा, कम्पनी अधिनियम एवं आयकर अधिनियम को सम्मिलित करते हुये लागू होने वाले विधियों, निर्धारित

प्रतिफल पर स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अगर कोई सदस्य कम्पनी की सदस्यता के लागू होने वाले, समय-समय पर संशोधनों के साथ, मापदंडों को सदस्यता की तिथि से पाँच वित्तीय वर्षों तक पूरा करता है, अंशों का पूर्ण अथवा आंशिक समर्पण तथा अंशों का पूर्ण अथवा आंशिक क्रय जैसा भी हो वह कम्पनी से प्रतिफल प्राप्त करने के लिए योग्य होगा, समर्पण/क्रय के सममूल्य के साथ, कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा समर्पण/क्रय के लिए निर्धारित किये गये हैं प्रीमियम से अधिक नहीं होगा तथा उक्त पाँच वित्तीय वर्षों के मानदण्डों को पूरा करने से पूर्व सदस्यों द्वारा समर्पण/क्रय किये गये अंशों पर सदस्यों द्वारा धारित अंशों के सममूल्य के लिए पात्र होंगे तथा निदेशक मण्डल निर्दिष्ट मानदण्डों/शर्तों/परिस्थितियों के आधार पर अपने विवेकानुसार पाँच वित्तीय वर्षों के मानदण्डों को कम या छूट प्रदान कर सकता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, निदेशक मंडल को अंशों का क्रय और अंशों के समर्पण स्वीकार करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, दस्तावेज, मामलों में पूर्ण स्वविवेकानुसार, सही और वांछनीय जो भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक हो तथा समर्पण/क्रय के संबंध में प्रश्नों, संदेह व समस्याओं का विवेकानुसार निष्पादन करने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड, मामलों और वस्तुओं के लिए, ऐसे सभी व्यवहारों दस्तावेजों तथा जो भी आवश्यक, वांछनीय एवं व्यावहारिक जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझता है, के लिए अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्राप्त सभी अधिकारों या कोई भी अधिकार, किसी भी निदेशक या निदेशकों या अधिकारियों की समिति को प्रत्यायोजन करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

बोर्ड के आदेशानुसार
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./-

स्थान : जयपुर

दिनांक : 21 सितम्बर, 2021

अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F5302

टिप्पणी:-

- कम्पनी प्रबंधन को प्रशासन द्वारा COVID-19 संबंधित जारी सभी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना है। इसलिए, कम्पनी के सदस्य जो व्यक्तिगत रूप से वार्षिक आम सभा (AGM) में भाग लेना चाहते हैं, वह वार्षिक आम सभा की निर्धारित तिथि से 7 दिन पूर्व कम्पनी को आवश्यक रूप से सूचित करें ताकि कम्पनी सामाजिक दूरी के मापदंड और COVID-19 से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने के लिए, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकें। COVID-19 के जोखिम को कम करने के लिए, कोई भी सदस्य कम्पनी को पूर्व में सूचना दिये बिना वार्षिक आम सभा में भाग नहीं ले सकता है।
- कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति

के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।

3. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2020–2021 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
4. कम्पनी के सदस्यों को व्यवसाय में भागेदारी (संरक्षता के आधार) पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वर्गीकृत करने का मापदंड सातवीं वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया था।
5. सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकार:-

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2020–21), को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 110781 सदस्य दर्शाये गये हैं, जिनका श्रेणी वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2020–21 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार हैः-

- (a) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान संरक्षता मापदण्डों का सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, “श्रेणी ए” के 3325 सदस्य, “श्रेणी बी” के 8024 सदस्य और “श्रेणी सी” के 23308 सदस्य (कुल 34657 सदस्य) जिन्होंने कम्पनी की वोट करने की आधारभूत शर्तों के साथ साथ संरक्षता मापदण्ड के सभी श्रेणी की शर्तों को पूरा किया है इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 11 इसमें उसी श्रेणी के निदेशकों का चयन शामिल है, पर वोट करने के अधिकारी होंगे।
(नोट-कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (“श्रेणी ए” अथवा “श्रेणी बी” अथवा “श्रेणी सी”) के निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है।)
- (b) 8830 सदस्य जिन्होंने कम्पनी की आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है), लेकिन उन्होंने अपनी श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूरा नहीं किया है, तथा जिन्होंने कम्पनी की तीनों श्रेणियों के वर्गीकरण की शर्तों को भी पूरा नहीं किया है, और उसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3, 4, 5 एवं 8) पर वोट नहीं कर सकते हैं परन्तु वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 6, 7, 9, 10 और 11 के प्रस्ताव पर वोट कर सकते हैं।
- (c) कुल 65286 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं की इसलिए, उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकारी नहीं है। हांलाकि, वे वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र हैं।
- (d) कुल 2008 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2021 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं। हांलाकि, वे वित्तीय वर्ष 2020–2021 के सीमित लाभांश (डिविडेंड), यदि वार्षिक आम सभा में पारित होता है, के पात्र होंगे।
- (e) दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात एवं सूचना पत्र की तारीख तक कुल 2010 नये सदस्य सम्मिलित किये गये हैं, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लाभांश के पात्र नहीं होंगे एवं उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार भी नहीं है।
- (f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके दुध संकलन केन्द्र के अनुसार दसवीं वार्षिक आम सभा के स्थान पर भी उपलब्ध होगी।

(g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिसमें सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक बोट कर सके, जिसे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।

6. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:-

- (i) निदेशक के पद हेतु चयन के लिए प्रत्येक प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं सहित विवरण।
- (ii) दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को सम्पन्न हुई नौर्वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।
- (iii) 31 मार्च, 2021 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ-हानि खाते के साथ उस पर निदेशकों की रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट।
- (iv) वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट।

7. मद संख्या 9, 10 और 11 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को व्याख्या करने के लिए व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) सूचना पत्र के साथ संलग्न है।

8. इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 से सांयः 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।

9. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर आम सभा में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

10. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई नौर्वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें।

11. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में दसर्वीं वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करें।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।

13. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।

14. सदस्य जिन्होंने अपना नामिती फार्म कम्पनी को जमा नहीं करवाया है वे नामिती फार्म भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवायें। नामिती फार्म कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

15. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार अदावाकृत या असंदर्त लाभांश की राशि को अनपेड डिविडेंड खाते में हस्तान्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित करना आवश्यक है। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट www.paayasmilk.com पर अदावाकृत या असंदर्त राशि को देख सकते हैं। सदस्यों से निवेदन है कि वे अदावाकृत या असंदर्त की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में हस्तान्तरित करने से पूर्व कम्पनी से दावा कर सकते हैं।

16. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।

17. सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी पहचान के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र वार्षिक आम सभा के स्थान पर लायें।

18. बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.paayasmilk.com पर उपलब्ध है।

आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति चाहने/होने वाले निदेशकों का विवरण (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4)(c) और आम सभा पर सचिवीय मानकों के अनुसार)।

मद सं. 3, 4, 5 और 8

बोर्ड ने नामांकन समिति की अनुशंसा पर श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन.-08075740, जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं) की पुनःनियुक्ति और श्री भागचन्द (डी.आई.एन.-09286255, जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं), श्री विजय सिंह मीणा (डी.आई.एन.-09286327 जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं) और श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन.-09286071, जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती हैं।) को कम्पनी के निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

	श्री नारायण लाल गुर्जर	श्री भागचन्द	श्री विजय सिंह मीणा	श्रीमती सुनिता शर्मा
उम्र :	33	32	43	31
शैक्षिक योग्यता :	बी.ए	12वीं पास	12वीं पास	बी.ए
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन में 15 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 14 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 25 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 10 वर्ष का अनुभव
नियुक्ति के नियम व शर्तें:	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग और अंतिम आहरित पारिश्रमिक :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की स्थिति:	27.02.2018	दसवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	दसवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	दसवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव
वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या में भाग लिया :	5	-	-	-
धारित अंशों की संख्या :	180	83	154	219
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं
बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बोर्ड के आदेशानुसार
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./-

अनूप गुप्ता

कम्पनी सचिव

सदस्यता संख्या: F5302

स्थान : जयपुर

दिनांक : 21 सितम्बर, 2021

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना-पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 2021 में दी गई मद संख्या 9, 10 से 11 से संबंधित)

मद संख्या : 9

कम्पनी के सदस्यों और संचालन के क्षेत्र में अन्य लोगों ने अनुरोध किया है कि कम्पनी कुछ दैनिक आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, फल, सब्जियां आदि को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर थोक में उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है। सदस्यों के बीच पारस्परिक सिद्धान्तों और पारस्परिक सहायता की तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये और आगे जोकि उद्देश्यों के अनुरूप भी है, कम्पनी अपने संचालन क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को शुरू करना चाहती है जो सदस्यों और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। भविष्य में ऐसी गतिविधियों को करने के लिए, सलग नोटिस के मद संख्या 9 में वर्णित उद्देश्य को कम्पनी के मुख्य उद्देश्य में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

कम्पनी अधिनियम के लागू वैधानिक प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, कम्पनी के बहिर्नियमों के मुख्य उद्देश्य में परिवर्तन करने में एक नये क्लॉज को सम्मिलित करने और कम्पनी के बहिर्नियमों के ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन के लिए सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल की बैठक से प्रस्तावित परिवर्तन के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रतिलिपि कार्यवाही दिनों में प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक सदस्यों की जाँच के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध रहेगी।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 9 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 10

केंद्र सरकार ने दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को कम्पनी संशोधन अधिनियम 2020 से कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXIA को समाविष्ट किया। यह नया अध्याय प्रोड्यूसर कम्पनियों के सभी प्रावधान जैसे कि कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IXA में दिए गए हैं, को सम्मिलित करता है। कम्पनी अधिनियम 2013 के नए अध्याय XXIA के प्रावधानों को दिनांक 11 फरवरी, 2021 से अधिसूचित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लागू होने वाले नए प्रावधानों की अनुपालन करना प्रारम्भ कर दिया है।

अतः कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान अब लागू नहीं हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 में अध्याय XXIA के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रावधानों के साथ इसे निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अंतर्नियमों के अनुच्छेद में सम्बन्धित सभी संदर्भों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित धारा/प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

निदेशक मंडल की बैठक से प्रस्तावित परिवर्तन के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रतिलिपि कार्यवाही दिनों में प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक सदस्यों की जाँच के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध रहेगी।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 10 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 11

कम्पनी के साथ सदस्यों का अधिक समय तक जुड़ाव बनाए रखने के लिए और जब वह सदस्य कम्पनी को छोड़ते हैं तो उनको अंशों के सममूल्य के साथ-साथ लॉयल सदस्य के रूप में अतिरिक्त राशि देने के उद्देश्य से दिनांक 19.09.2016 को आयोजित 5वीं वार्षिक

आम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या 11/2016-17 के अंतर्गत जो भी सदस्य कम्पनी सदस्यता के लागू होने वाले मापदंडों को सदस्यता की तिथि से 7 वित्तीय वर्षों तक पूरा करता है तो उन सदस्यों को अंशों का क्रय अथवा समर्पण के समय सममूल्य के साथ-साथ प्रीमियम पर की राशि भी देय होती है।

कम्पनी के सदस्यों और फील्ड टीम से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, यह प्रतीत होता है कि 7 वित्तीय वर्षों की अवधि लम्बी है और इसे कम कर पांच वर्ष किया जा सकता है। इसलिए निदेशक मण्डल की ओर से यह प्रस्तावित है कि भविष्य में कम्पनी अपने द्वारा जारी किये गये अंशों के क्रय और समर्पण को इसके सदस्यों से अंशों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ऐसी प्रीमियम राशि जोकि निर्धारित प्रीमियम की राशि से अधिक नहीं है पर ऐसी शर्तों पर, ऐसे समय पर ऐसे प्रतिफल के बदले जिसे निदेशक मण्डल प्रदान किये जाने का निर्णय लेता है पर लागू होने वाले नियमों जिसमें कम्पनी नियम तथा आयकर नियम शामिल हैं पर स्वीकार कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई सदस्य कम्पनी की सदस्यता के लागू होने वाले, समय-समय पर संशोधनों के साथ, मापदंडों को सदस्यता की तिथि से पांच वित्तीय वर्षों तक पूरा करता है, अंशों का पूर्ण अथवा आंशिक समर्पण तथा अंशों का पूर्ण अथवा आंशिक क्रय जैसा भी हो वह कम्पनी से प्रतिफल प्राप्त करने के लिए योग्य होगा, समर्पण/क्रय के सममूल्य के साथ, कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा समर्पण/क्रय के लिए निर्धारित किये गये हैं प्रीमियम से अधिक नहीं होगा तथा उक्त पांच वित्तीय वर्षों के मानदण्डों को पूरा करने से पूर्व सदस्यों द्वारा समर्पण/क्रय किये गये अंशों पर सदस्यों द्वारा धारित अंशों के सममूल्य के लिए पात्र होंगे तथा निदेशक मण्डल निर्दिष्ट मानदण्डों/शर्तों/परिस्थितियों के आधार पर अपने विवेकानुसार पांच वित्तीय वर्षों के मानदण्डों को कम या छूट प्रदान कर सकता है।

यह प्रस्ताव कम्पनी की दसवीं वार्षिक आम सभा की तारीख से लागू होगा।

आगे, अंशधारकों द्वारा पूर्व में पारित किए गए प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को कम्पनी की आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके अंशधारकों द्वारा संशोधित और अनुमोदन किया जा सकता है।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मण्डल, सूचना पत्र में वर्णित मद् संख्या 11 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार^{ह. / -}
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह. / -

स्थान : जयपुर
दिनांक : 21 सितम्बर, 2021

अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F5302

पंजीकृत कार्यालयः

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN: U01211RJ2012PTC038955)

डी-232, 233, चौथी मंजिल,

अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर,

जयपुर-302 021 (राजस्थान)

दूरभाष नं. 91-141-2352736

Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

स्थान: हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 राजस्थान में
सदस्यों की नौवीं वार्षिक आम सभा, शुक्रवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 समय प्रातः 9:30 बजे को आयोजित हुई
जिसकी कार्यवाही विवरण का विवरण निम्न है:-

बैठक में उपस्थित सदस्य : -

- | | | |
|-----|--------------------------|------------------------------|
| 1. | श्रीमती मंजू जाखड़ | - अध्यक्षा एवं अंशधारक |
| 2. | श्रीमती ममता चौधरी | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 3. | श्री सेडमल शर्मा | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 4. | श्री जय सिंह राठौड़ | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 5. | श्रीमती गीता देवी गुर्जर | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 6. | श्री सुखपाल जाट | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 7. | श्री नारायण लाल गुर्जर | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 8. | श्री रामचरण जाट | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 9. | श्री सुशील कुमार वैष्णव | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 10. | श्री रतन कुमार सिंह | - निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी |
| 11. | श्री अनूप गुप्ता | - कम्पनी सचिव |
- (a) श्रीमती मंजू जाखड़ ने प्रातः 09:30 बजे बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कम्पनी सचिव से बैठक प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए निवेदन किया।
- (b) तत्पश्चात्, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 18 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 2531 सदस्य प्रॉफेसी के माध्यम से उपस्थित थे। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581Y को कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, बैठक के लिए अपेक्षित कोरम 27890 सदस्य है।
- (c) अध्यक्षा ने अवलोकन किया कि बैठक के लिए अपेक्षित कोरम 27890 सदस्य, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581Y के अनुसार कोरम को पूरा करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या, उपस्थित नहीं थे। तत्पश्चात्, कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 की आवश्यकताओं के अनुसार, अध्यक्षा ने अधिक सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए आधा घंटे तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।
- (d) श्रीमती मंजू जाखड़ ने प्रातः 10:00 बजे बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कम्पनी सचिव से बैठक प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए निवेदन किया।
- (e) तत्पश्चात्, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 22 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 3876 सदस्य प्रॉफेसी के माध्यम से उपस्थित थे। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581Y को कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, बैठक के लिए अपेक्षित कोरम 27890 सदस्य है।
- (f) अध्यक्षा ने प्रातः 10 बजे यह अवलोकन किया कि कोरम अभी भी पूर्ण नहीं है और यह घोषित किया गया कि कम्पनी के सदस्यों की नौवीं वार्षिक आम सभा को कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार स्थगित किया जाता है और अपने निर्धारित समय से 3 घंटे के पश्चात आज के दिन और इसी स्थान पर पुनः एकत्रित होंगे।

- (g) उपस्थिति सदस्य बैठक के स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पुनः एकत्रित हुए। कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 40 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 8572 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। अध्यक्षा ने अवलोकन किया कि कोरम के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या अभी भी पूर्ण नहीं थी। तत्पश्चात्, अध्यक्षा ने कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 की आवश्यकताओं के अनुसार, आधा घंटा तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।
- (h) अध्यक्षा ने दोपहर 1 बजे, कम्पनी सचिव से पुष्टि के पश्चात, यह घोषणा कि कि 40 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 8572 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों को, कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, बैठक के लिए कोरम के रूप में माना जाएगा। कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर एवं निदेशक मंडल की समता अंश पूँजी के विवरण का रजिस्टर जांच के लिए उपस्थित था। तत्पश्चात आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।
- (i) अध्यक्षा महोदय ने नौर्वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया।
- (j) तत्पश्चात्, अध्यक्षा महोदय ने कम्पनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घांडिटि को पढ़कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की।
- (k) उपस्थिति सदस्यों की सर्व सम्मति से नौर्वीं वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।
- (l) तत्पश्चात्, अध्यक्षा महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं गतिविधियों संबंधी जानकारी दी।
- (m) तत्पश्चात्, अध्यक्षा महोदय की सलाह पर, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।
1. 31 मार्च, 2020 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-
- 1.1 श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने लेखों पर अंकेक्षकों रिपोर्ट को पढ़ा। तत्पश्चात्, सदस्यों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों पर विचार-विमर्श किया।
- 1.2 श्री रामजी लाल शर्मा (फोलियो संख्या: 179073) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
प्रस्ताव संख्या 1/2020–2021–नौर्वीं वार्षिक आम सभा /04.12.2020
- “दिनांक 31 मार्च, 2020 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”
- श्री अमर सिंह (फोलियो संख्या: 9089) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
- अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
2. कम्पनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-
- 2.1 श्रीमती सुशीला देवी (फोलियो संख्या: 2459) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
प्रस्ताव संख्या 2/2020–2021–नौर्वीं वार्षिक आम सभा /04.12.2020

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी पर रु. 7/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 41,77,927 समता अंशों पर रु. 2,92,45,489/- वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

श्रीमती कविता देवी (फोलियो संख्या: 109501) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती गीता देवी गुर्जर (डी.आई.एन.-07573959), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-
- 3.1 श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी (फोलियो संख्या: 167058) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 3/2020-2021-नौरीं वार्षिक आम सभा/04.12.2020

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती गीता देवी गुर्जर (डी.आई.एन.-07573959), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

श्रीमती मीनाक्षी यादव (फोलियो संख्या: 168469) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी सी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती मंजू जाखड़ (डी.आई.एन.-06441908), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रही है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
- 4.1 श्रीमती मंजू जाखड़, कम्पनी की अध्यक्षा का इस प्रस्ताव में व्यक्तिगत हित होने के कारण उन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी और उपस्थित सदस्यों की अनुमति से, श्रीमती ममता चौधरी, निदेशक ने इस कार्यसूची के लिए अध्यक्षता की।
- 4.2 श्रीमती सुनिता बागड़ा (फोलियो संख्या: 162329) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 4/2020-2021-नौरीं वार्षिक आम सभा/04.12.2020

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्ण-अध्यादेश), श्रीमती मंजू जाखड़ (डी.आई.एन.-06441908), निदेशक जो इस आम सभा के समाप्त पर चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होंगी तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, के स्थान पर श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.-08842062) जो “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

श्रीमती संतरा देवी (फोलियो संख्या: 136968) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

श्रीमती ममता चौधरी ने सदस्यों को धन्यवाद दिया और श्रीमती मंजू जाखड़ द्वारा पुनः अध्यक्षता के लिए श्रीमती ममता चौधरी ने अध्यक्षता छोड़ दी। तत्पश्चात्, श्रीमती मंजू जाखड़ ने बैठक की अध्यक्षता की।

5. श्री झूंगर सिंह राठौड़ (डी.आई.एन.-06939769), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के कारण “श्रेणी बी” में रिक्त पद को वर्तमान समय में नहीं भरने पर विचार करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–
- 5.1 श्री गणेश राम (फोलियो संख्या: 101209) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 5/2020-2021-नौवीं वार्षिक आम सभा/04.12.2020

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री झूंगर सिंह राठौड़ (डी.आई.एन.-06939769), बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे और उनके पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होने के कारण, “श्रेणी बी” का एक रिक्त पद वर्तमान समय में भरा नहीं गया है।”

श्रीमती श्रवणी (फोलियो संख्या: 106651) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–
- 6.1 श्री कैलाश चन्द जाट (फोलियो संख्या: 50746) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 6/2020-2021-नौवीं वार्षिक आम सभा/04.12.2020

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुरुग्राम, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को रूपये 14,92,000 (अक्षरे चौदह लाख बानवे हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।”

श्री सियाराम (फोलियो संख्या: 98005) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

- 7.1 श्रीमती श्रवण देवी (फोलियो संख्या: 25140) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 7/2020-2021-नौवीं वार्षिक आम सभा/04.12.2020

“1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

श्री जीतराम बेनीवाल (फोलियो संख्या: 166387) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. श्री लादू लाल (डी.आई.एन.-08856442), को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है और सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-
- 8.1 श्री राम लाल (फोलियो संख्या: 14174) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 8/2020–2021–नौरीं वार्षिक आम सभा /04.12.2020

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्ण-अध्यादेश), श्री लादू लाल (डी.आई.एन.-08856442) जो “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को एतद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”

श्री छीतर (फोलियो संख्या: 34125) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. कम्पनी के अंतर्नियम में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:-
- 9.1 श्री भवानी शंकर प्रजापति (फोलियो संख्या: 108354) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 9/2020–2021–नौरीं वार्षिक आम सभा /04.12.2020

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 581-I, 581ZQ, 581ZR तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्ण-अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले वर्तमान कम्पनी अंतर्नियमों को जहां तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है-

1. वर्तमान अनुच्छेद 9.6 ii को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाये:

“ii. बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, वार्षिक आम सभा में बोर्ड के किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति की जायेगी।”

2. वर्तमान अनुच्छेद 11.6 (i) (c) को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाये:

c. किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो सदस्य न हो। प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त एक सदस्य, ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या 300 से अधिक नहीं हो और उनकी कुल अंश पूँजी कम्पनी की अंश पूँजी से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, की ओर से कार्य करेगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को गजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

श्री गिरीराज (फोलियो संख्या: 67502) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को बोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अतः अध्यक्षा महोदय को धन्यवाद देने के साथ सभा सम्पन्न हुई।

ह./-

दिनांक : 11.12.2020

अध्यक्षा

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट

(अ) आयगत बजट

विवरण		
(अ) आय		
दुध की मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	740,316
व्यापार (दुध एवं दुध उत्पाद)	रूपये लाखों में	128,962
अन्य आय	रूपये लाखों में	962
(ब) व्यय		
माल की लागत (परिवर्तन सहित)	रूपये लाखों में	112,597
स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत	रूपये लाखों में	16,641
कुल व्यय	रूपये लाखों में	129,238
कर से पूर्व लाभ (अ-ब)	रूपये लाखों में	685
	% विक्रय पर :	0.53%

(ब) पूँजीगत बजट 2021-2022

विवरण		
प्लांट एवं मशीनरी	रूपये लाखों में	255
ऑफिस उपकरण	रूपये लाखों में	10
आई.टी. उपकरण	रूपये लाखों में	141
लैब उपकरण	रूपये लाखों में	35
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	रूपये लाखों में	30
कुल	रूपये लाखों में	471

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

सदस्य
कोड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 09.30 बजे होटल महल रजवाड़ा रिसोर्ट, निकट वैशाली नगर थाना, वैशाली नगर, जयपुर-302021 पर होने वाली दसवीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

अंश धारक का नाम :-	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम:- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
 दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

फार्म संख्या एम.जी.टी.-11

प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य (यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

मैं/हम पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के अंशों का सदस्य होते हुये एतद्वारा

(1) श्री/श्रीमती फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

पता

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर: या उनकी अनुपस्थिति में

(2) श्री/श्रीमती फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

पता

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर: या उनकी अनुपस्थिति में

(3) श्री/श्रीमती फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

पता

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर:

को कम्पनी की बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को प्रातः 09.30 बजे होटल महल रजवाड़ा रिसोर्ट, निकट वैशाली नगर थाना, वैशाली नगर, जयपुर-302021 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली दसर्वीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के संबंध में वोट डालने (मतदान) के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ:

क्र.सं.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
2	कम्पनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
3	श्री नारायण लाल गुर्जर (डी.आई.एन.-08075740), जो बोर्ड में “श्रेणी ए” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
4	श्री सुखपाल जाट (डी.आई.एन. - 06362918), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
5	श्री रामचरण जाट (डी.आई.एन. -08193547), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
6	कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
7	1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
8	श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन.-09286071), को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है और इस सम्बन्ध में सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।			
9	कम्पनी के बहिर्नियम के उद्देश्य अनुच्छेद में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।			
10	कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।			
11	कम्पनी की पाँचवीं वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 11/2016-17 के आंशिक संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।			

दिनांक 2021 को हस्ताक्षरित किये गये।

₹ 1/-
रेन्यू टिकिट


(अंशधारक (कों) के हस्ताक्षर)

(प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर)

नोट: यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए वर्णित बैठक के प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में विधिवत रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए।

दसवीं वार्षिक आमसभा स्थल के मार्ग का नक्शा

दिल्ली-अजमेर मार्ग (200 फीट बाईपास रोड)



बुक-प्रेस्ट

प्रेषक :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: ई-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टाउन,
वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दृष्टांग नं. +91-141-4202108

Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com
(Dispatched by Linkintime India Pvt. Ltd., New Delhi)